ध्येयIAS®

most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अप्रैल 2018 अंक 03

विषय सूची

अप्रैल 2018
अंक-3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018
- भारत में 'विद्युत वाहन' एक नई पहल
- प्राथमिक शिक्षा में नई एकीकृत शिक्षा नीति के मायने
- मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018
- चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ने से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव
- ऑनर किलिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण
- उत्तर कोरिया और अमेरिका का छद्म युद्ध

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 23-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है। यह विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयास का हिस्सा है। यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) व्यवस्था का केन्द्र बनाता है। इस संशोधन में एक स्वतंत्र संस्था भारत की मध्यस्थता परिषद (एसआई) बनाने का प्रावधान है। यह संस्था मध्यस्थता करने वाले संस्थानों को ग्रेड देगी और नियम तय करके मध्यस्थता करने वालों को मान्यता प्रदान करेगी और वैसे सभी कदम उठाएगी जो मध्यस्थता, सुलह तथा अन्य वैकल्पिक समाधान व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। संस्था इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थता, सुलह तथा अन्य वैकल्पिक समाधान व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। संस्था इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था से जुड़े सभी मामलों में पेशेवर मानकों को बनाने के लिए नीति और दिशा-निर्देश तय करेगी। यह परिषद सभी मध्यस्थता वाले निर्णयों का इलेक्ट्रोनिक डिपोजटरी रखेगी।

पृष्ठरभूमि

मध्यस्थता प्रक्रिया को सहज बनाने, लागत सक्षम बनाने और मामले के शीघ्र निष्पादन और मध्यस्थता करने वाले की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन)अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया लेकिन तदर्थ मध्यस्थता के स्थान पर संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने और मध्यस्थता तथा सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को लागू करने में आ रही कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एच. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) बनाई गई। एचएलसी को निम्नशलिखित कार्य दिए गए-

- भारत में मध्यस्थ संस्थानों के कामकाज और उनके कार्य प्रदर्शन का अध्ययन करके वर्तमान मध्यस्थता व्यवस्था के प्रभाव की जांच करना।
- भारत में संस्थागत मध्यस्थता व्यावस्था को प्रोत्साहित करने के लिए रोडमैप तैयार करना।
- वाणिज्यिक विवाद समाधान के लिए कारगर और सक्षम मध्यस्थता प्रणाली विकसित करना और कानून में सुझाए गए सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

उच्चस्तरीय समिति ने 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन की सिफारिश की है। प्रस्तावित संशोधन उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार है।

मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम-2015

संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- यह विभिन्न पक्षों को भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्राप्त करने में सक्षम करता है और यदि विभिन्न पक्ष असहमत न हों तो वे भारतीय अदालतों में भी अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए पहुंच सकते हैं।
- मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 12 महीनें में अपना निर्णय दे देना होगा। विभिन्न पक्ष इस अवधि को छः महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद, इसकी अवधि को पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर केवल न्यायालय द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।
- अवधि को बढ़ाने के दौरान न्यायालय मध्यस्थों के शुल्क में कमी करने का आदेश भी दे सकती है, यह कमी विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिए पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया छः महीने के अंदर पूरी हो जाती है तो दोनों पक्षों की सहमति से अतिरिक्त शुल्क प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।
- मध्यस्थता के संचालक के लिए एक फास्ट (तीव्र) ट्रैक (मार्ग) कार्यप्रणाली का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रकरण के छः महीने की अवधि में निर्णय देने होंगे।
- यह संशोधन मध्यस्थ के शुल्क पर एक उच्चतम सीमा निर्धारित करता है।
- यह अधिनियम मध्यस्थता न्यायाधिकरण को वे सभी अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए सशक्त करता है जो एक न्यायालय प्रदान कर सकता है।
- यह अदालतों को मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने का अधिकार देता है यदि वह भारत की लोक नीति के विरूद्ध है, अर्थात वह भारतीय विधि के आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन हो या उस निर्णय का नैतिकता के विचार के साथ संघर्ष हो।

इसकी आवश्यकता क्यों?

- केन्द्र सरकार द्वारा पंचाट तंत्रों के संदर्भ में विधायी एवं प्रशासनिक पहलें आरंभ की जा रही है, जिनका उद्देश्य अदालतों के हस्तक्षेप में कमी लाना, केस की सुनवाई की प्रक्रिया में आने वाली लागत में कमी लाना, मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक समय-सीमा सुनिश्चित करना तथा पंचाट की तटस्थता सुनिश्चित करना है।
- वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान तथा विभिन्न समझौतों के तहत निर्मित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पंचाट तंत्रों के प्रभावी संचालन की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए पंचाट तंत्र के विभिन्न कारकों में तेजी लाने तथा देश में पंचाट व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

- इसके साथ-साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पंचाट तंत्र के संदर्भ में एक मजबूत केन्द्र बनाने की दिशा में आवश्यक कुछ विशिष्ट मुद्दों एवं दिशा-निर्देशों की पूर्ण सटीकता एवं ईमानदारी से जाँच किए जाने की आवश्यकता है।
- पंचाट वस्तुतः वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत तटस्थ रूप से उपस्थित तीसरा पक्ष मामलें की सुनवाई करता है तथा निर्णय देता है। भारत में पंचाट तंत्रों की स्थापना पंचाट एवं समाधान अधिनियम के तहत की गई।

प्रमुख विशेषताएँ

1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(i) यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों की तेजी से नियुक्ति में सहायक है, इस संबंध में न्यायालय से संपर्क की आवश्यकता के बिना। विधेयक में यह व्यवस्था है कि संबंधित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए और संबंधित उच्च न्यायालयों के अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं।

(ii) एसीआई निकाय निगम होगी। एसीआई का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहा हो। अन्य सदस्यों में सरकारी नामित लोगों के अतिरिक्त जाने-माने शिक्षाविद आदि शामिल किए जाएंगे।

(iii) विधेयक समय-सीमा से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को अलग करके तथा अन्य मध्यस्थताओं में निर्णय के लिए समय-सीमा विभिन्न पक्षों की दलीलें पूरी होने के 12 महीनों के अंदर करके सेक्शन 29ए के उप-सेक्शन (1) में संशोधन का प्रस्ताव है।

(iv) इसमें नया सेक्शन 42ए जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति या मध्यस्थता संस्थान निर्णय के सिवाय मध्यस्थता से जुड़ी कार्यवाहियों की गोपनीयता बनाए रखेंगें। नया सेक्शन 42बी मध्यस्थता करने वाले को मध्यस्थता सुनवाई के दौरान उसके किसी कदम या भूल को लेकर मुकदमा या कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है।

(v) एक नया सेक्शन 87 जोड़ने का प्रस्ताव है जो स्पष्ट करेगा कि जब तक विभिन्न पक्ष सहमत नहीं होते संशोधन अधिनियम 2015 में, (ए) 2015 के संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता की कार्यवाही के मामले में (बी) संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने के पहले या ऐसी अदालती कार्यवाही शुरू होने के बावजूद मध्यस्थता प्रक्रिया के संबंध में चालू होने वाली अदालती कार्यवाहियों में लागू नहीं होगा तथा यह सेक्शन संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने या बाद की मध्यस्थता कार्यवाहियों में लागू होगा और ऐसी मध्यस्थता कार्यवाहियों से उपजी अदालती कार्यवाहियों के मामले में लागू होगा।

आगे की राह

भारत में दिनोदिन अदालतों के समक्ष कानूनी मामलों की बढ़ती तादाद के चलते लंबित मामलों की संख्या में काफी इजाफा होता जा रहा है। ऐसी प्रस्थिति में अदालतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए कुछ विशेष मामलों को वैकल्पिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में पंचाट, मध्यस्थता तथा समाधान कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा इस समस्या पर काफी नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि इस प्रक्रिया का उद्देश्य, दो पक्षों के मध्य सुलह अथवा स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से समाधान को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक निश्चित ही विवादों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

2. भारत में 'विद्युत वाहन' एक नई पहल

चर्चा का कारण

सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) कंपनी ने मार्च 2019 तक सरकारी इस्तेमाल के लिए करीब 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों (Electronic Veticles) को खरीदने जा रही है। इसके लिए कंपनी 2,400 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। कंपनी महाराष्ट्र सरकार को 1,000 तथा गुजरात सरकार को 8,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति के लिए इस महीने उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकती है। इस समय दिल्ली में 100 ईवी चल रहे हैं।

''एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संयुक्त उद्यम ईईएसएल ने पिछले साल 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निविदा जारी की थी। इसका मकसद सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना है। यह सरकार के 2030 तक 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य के अनुरूप है।

निविदा के तहत पहले चरण में 500 वाहन खरीदे जाने थे और शेष दूसरे चरण में। यह बोली टाटा मोटर्स और महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने जीती। ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने कहा कि कंपनी ने 10,000 कारों की आपूर्ति को लेकर आंध्रप्रदेश सरकार के साथ पिछले महीन समझौता किया साथ ही कंपनी इतनी ही संख्या में वाहन खरीदने को लेकर निविदा जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा, ''निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और हम जल्दी ही महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार के साथ समझौता करेंगे।

क्या हैं इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहन एक ऐसी वाहन होती है जो बैटरी से चलती है जिसमें इंजन नहीं बल्कि मोटर लगी होती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक वाहन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है इसमें बैटरी, सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से ईंधन इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। ये वाहन साईकिल, बाइक, कार, बस या ट्रेन कुछ भी हो सकता है। इस वाहन की बैटरी को बिजली से चार्ज किया जाता है। इसमें सामान्यतः वाहन जैसी ही अन्य चीजें होती हैं बस फर्क इंजन और ईंधन का होता

है। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करना बहुत आसान होता है, इन वाहनों को वैसे ही चार्ज किया जा सकता है जैसे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल व डीजल की कार की एवरेज उसकी इंजन और गाड़ी के आकार के अनुसार होती है- उसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन की एवरेज भी वैसे ही बदलती है।

वर्तमान परिदृश्यः भारत के संदर्भ में

सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों पर जोर दिए जाने के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआती बिक्री में गुजरात पहले नंबर पर है बीते वर्ष में गुजरात में कुल मिलाकर 4330 ईवी बिके। बीते वित्त वर्ष 2016-17 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिहाज से गुजरात के बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र का स्थान है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के नवगठित संगठन 'इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता परिषद'(एसएमईवी) के एक अध्ययन के अनुसार 2016-17 में महाराष्ट्र में 1926 इकाई, राजस्थान में 2,388 इकाई, उत्तर प्रदेश में 2,467 इकाई व पश्चिम बंगाल में 2,846 इकाई ई-वाहन बिके। इसके अनुसार उक्त इलेक्ट्रिक वाहनों में 92 प्रतिशत दुपहिया व केवल 8 प्रतिशत चौपहिया वाहन रहे। यह अध्ययन उन सभी इलेक्ट्रिक दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर केन्द्रित है जो कि 2016-17 के दौरान बिके व चल रहे है।

वर्तमान परिदृश्यः विश्व के संदर्भ में

गौरतलब है कि कैलिफोर्निया में तो 1990 में सबसे पहले जेडईवी को लेकर नियम बनाए गए थे जिसके तहत कार बनाने वालों को एक निश्चित संख्या में जेडईवीएस का निर्माण करना जरूरी था।

मेलानी जौसे का कहना है कि 2025 के बाद तो बड़े वाहन निर्माताओं के लिए अपने कुल निर्माण का 22 फीसदी हिस्सा जेडईवी होना चाहिए। बाकी के लिए भी कुल निर्माण की 16 फीसदी हिस्सेदारी जेडईवी होनी जरूरी है। वहां तो सरकारी अनुदान को वाहन की गुणवत्ता के साथ जोड़ा गया है। 2018 के बाद तो वहां किसी भी प्लग-इन हाइब्रिड और 10 मिल से कम क्षमता वाले वाहन को कार्पोरेट टैक्स से छूट नहीं दी जा रही है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पीएचईवीएस के लिए जिसकी क्षमता 70 से 80 मील है, उन्हें भी टैक्स में छूट रेंज के आधार पर ही दी जाती है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जेडईडब्ल्यूएस, जिसकी रेंज 50 मील से कम होती है, उन्हें कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में गैर-राजकोषीय अनुदान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया गया है, साथ ही सरकार के बेड़े में शामिल 10 फीसदी जेडईडब्ल्यूएस गाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण भी किया जा रहा है। कैलिफोर्निया तो एक कदम आगे बढ़कर कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत 2040 के बाद वहां आईसी ईंजन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। चीन तो अपने यहां कानून और अनुदान दोनों तरीकों के बड़े प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। 2019-20 के लिए 10-12 फीसदी का लक्ष्य रखा गया है और 2025 तक इसे 20 फीसदी करने का लक्ष्य बनाया गया है। गौरतलब है कि 2016 में चीन में करीब 28 मिलियन वाहन बेचे गये थे इसलिए यह लक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है।

चीन अपने यहां, अनुदान, टैक्स छूट और चार्जिंग सुविधाओं सहित कई उदार प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है। यातायात नियमों में ढील, ईवी वाहनों को ज्यादा लाइसेंस आदि। नार्वे, स्वीडन और नीदरलैंड ने सब्सिडी, टैक्स छूट, राष्ट्रव्यापी चार्जिंग स्टेशनों, कम पार्किंग रेट और अलग बस लाइनों के जरिए अपने यहां बेहतर मार्केट पैदा कर ली है। इन्हीं वजहों से 2017 में कुल नए वाहनों में 39 फीसदी से ज्यादा ईवी और हाइब्रिड वाहन बिके।

इलेक्ट्रिक वाहन से लाभ

आने वाले समय में देश के ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों का ही दबदबा रहेगा। इसे देखते हुए ऑटो कंपनियाँ भी इस ओर ध्यान देने लगी हैं। बेशक ईवी देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहने से कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी हैं जिसका असर सीधा आम जनता पर पड़ेगा।

- इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से देश में 2030 तक डीजल और पेट्रोल की लागत के रूप में 60 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक एक गीगाटन कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकता है। नीति आयोग और रॉक माउंटेन इंस्टियूट की रिपोर्ट 'इंडिया लीप्स एहेडः ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी साल्यूशन' में कहा गया है कि इससे सालाना 15.6 करोड़ टन डीजल और पेट्रोल के बराबर ईंधन की बचत की जा सकेगी। कच्चे तेल के मौजूदा मूल्य के हिसाब से देखा जाये, तो इससे 2030 तक करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये का ईंधन बचाया जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अस्तित्व में आने से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश का राजकोषीय घाटा कम होगा। आज तेल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि होने से आम जन-जीवन प्रभावित हुआ है। इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी।
- परंपरागत ऊर्जा स्रोतों (कोयला, डीजल, पेट्रोल) की बचत होगी जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है जिससे बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- आज विश्व कार्बन उर्त्सजन की समस्या से जूझ रहा है ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन दिए जाने से कार्बन उत्सर्जन में व्यापक कमी आएगी।

प्रदूषण से आजादी

पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हम सभी परेशान हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाना ही सबसे बेहतर माना जा रहा है क्योंकि इनके इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता और वातावरण साफ-सुथरा रहता है।

किफायतीः पेट्रोल और डिजल के दाम इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपये के पार जा पहुंची है। ऐसे में बैटरी से चलने वाले ईवी काफी किफायती साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं इनमें इंजन लुब्रिकेंट और ऑइल की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे में काफी धन की बचत भी हो जाएगी।

बेहतर बैलेंसः इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी बीच में होती है जिससे संतुलन अच्छा बना रहता है और चलाने में भी दिक्कत नहीं आती। इतना ही नहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्पेंसन थोड़े बेहतर होते हैं जिनकी मदद से खराब रास्तों पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है।

चुनौतियाँ

रिचार्ज स्टेशनों की कमीः देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर तेजी से जोर दिया जा रहा है लेकिन उस हिसाब से देश में चार्जिंग स्टेशनों की पर्याप्त उपलब्धता फिलहाल सुनिश्चत नहीं हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना तो आसान होगा लेकिन इन्हें चार्ज करने में दिक्कत आएगी।

लम्बी दूरी तय करने में होगी दिक्कतः औसत फोर व्हीलर जहां फुल चार्ज में बस 160 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं ऐसे में अगर लम्बी दूरी तय करनी हो तो लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा।

फास्ट चार्जिंग का न होना: पेट्रोल और डीजल वाहनों में फ्यूल भरने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ऐसा नहीं है, बैटरी को फुल चार्ज होने में काफी समय लगता है जिससे काफी समय बरबाद होता है।

पावर की कमी: इलेक्ट्रिक वाहनों में पावर की कमी भी देखने को मिलती है। साथ ही इनकी गति भी अभी काफी कम है। मौजूदा ई-टू व्हीलर की रफ्तार 25 किमी/घंटा है जबकि बहुत ही कम ऐसे मॉडल हैं जिनकी स्पीड 40 किमी/घंटा से ज्यादा है।

री-सेल वैल्यू का कम होना: इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी खामी उनकी री-सेल वैल्यू का काफी कम होना है। इतना ही नहीं इनमें लगी मोटर की लाइफ भी करीब 7-8 साल ही होती है इसके अलावा ओवरचार्ज्ड होने पर इनकी बैटरी लाइफ कम होती हैं।

- **महंगी बैटरी:** इलेक्ट्रिक वाहन अभी सीमित संख्या में उत्पादित हो रहे हैं साथ ही साथ बहुत महंगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे बड़ी समस्या बैटरी की है, क्योंकि बैटरी बहुत महंगी है तकरीबन 1 लाख रुपये की।
- **स्पष्ट नीति का अभाव:** 'रेनॉल्ट' के प्रबन्ध निर्देशक 'सुमित सवानी' कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य है लेकिन इसके लिए सरकारी नीतियाँ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।

अधिक निवेश की आवश्यकता: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑटो इंडस्ट्री पर जोर देने और भारी निवेश के जरिए वैश्विक और घरेलू ब्रांड्स को इकोफ्रेंडली बनाने की राह आसान नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही वर्ष 2025 तक इनकी कीमते पेट्रोल एवं डीजल वाहनों से भी कम होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक वाहनों का महंगा होना: ऑटो एक्सपर्ट रंजॉय मुखर्जी ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें काफी महंगी हैं और लोग इन्हें खरीदने के लिए इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि इन्हें पूरे देश में नहीं चलाया जा सकता। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अभी काफी छोटे पैमाने पर हैं और दुनिया में जितने भी सफल इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो काफी महंगे हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं।

बुनियादी सुविधाओं की कमी: रंजॉय मुखर्जी ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपनी कुछ चुनौतियाँ हैं, जहां भारत में काफी गर्मी होती है वहीं जिन देशों में इलेक्ट्रिक कारें सफल है वहां काफी ठंड होती है। इसके अलावा दूसरे देशों के मुकाबले भारत में चार्जिंग प्वाइंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जिस देश के गाँवों तक बिजली पूरी तरह नहीं पहुंची है उस पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे चलाएंगे।

बिजली का उत्पादन कोयला आधारित होना: पश्चिमी देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सब कुछ इलेक्ट्रिफाई कर लिया है और उनकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह न्यूक्लियर है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है उसके बाद कुछ थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में बिजली बनाने का कार्य कोयले से हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उसके लिए और ज्यादा कोयले की खपत होगी। एक तरफ जहां आप इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर रहे हैं तो दूसरी और कोयले से बनी इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा प्रदूषण फैलाएगी।

सरकारी पहल

सरकार ने 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान '2020' (NEMP) नामक योजना की शुरूआत की है जिसके तहत वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके माध्यम से इन वाहनों की मांग एवं आपूर्ति दोनों बढ़ाने की योजना है साथ ही इस नए तंत्र को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी सरकार प्रदान करेगी।

केन्द्र सरकार ने फेम (fame){Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles} योजना भी शुरू की है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके बाजार निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत मुख्त: 4 क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। 1. प्रौद्योगिकी विकास, 2. मांग सृजन 3. पायलट प्रोजेक्ट एवं 4. चार्जिंग अवसंरचना का विकास। इस योजना के माध्यम से दो पहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों एवं हल्के वाणिज्यिक वाहनों एवं बसों सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है।

विद्युत चालित वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये फरवरी, 2016 में भारी उद्योग विभाग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से एक तकनीकी मंच प्रारंभ किया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए भी अब ग्राहकों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग का पेमेंट भीम एप व भारत क्यूआर कोड सहित अन्य डिजिटल तरीकों से करने की अनुमति देने की ओर अग्रसर है। सरकार ने इसके लिए बनाई गई समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। समिति ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए एक समान मानकों की सिफारिश की है ताकि किसी भी मॉडल के इलेक्ट्रिक वाहनों को एक ही स्टेशन पर चार्ज किया जा सके। समिति ने कहा है कि ग्राहकों को चार्जिंग के लिए पेमेंट करना होगा इसके लिए कई विकल्प हैं जिसमें वाहन पहचान संख्या (वीआईएन) के आधार पर उपभोक्ता के खाते से पैसे काटना भी शामिल है।

मीटरिंग के जरिए हर वाहन की चार्जिंग यूनिट की गिनती होगी जैसे ही चार्जिंग खत्म होगी कनेक्टर सफल भुगतान की रशीद देगा।

नीति आयोग ने दिल्ली में 135 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट आईटी सलूशन कंपनी (AC2SG) ने नीति आयोग के सहयोग से तैयार किया है।

इलेक्ट्रिक वाहन योजना को मिली अच्छी कामयाबी: स्कीम के तहत सरकार की ओर से प्रत्येक शहर को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुल 105 करोड़ रुपये की मदद प्रदान करने का प्रस्ताव है।

स्वच्छ अभियान के तहत फेम इंडिया स्कीम के पहले चरण के तहत दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, कोलकाता, इंदौर समेत देश के 11 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने वाली कंपनियों को केन्द्र सरकार 4000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। देश के प्रमुख नगरों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित सार्वजनिक एवं साझा परिवहन प्रणाली के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का एलान पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को किया गया था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 30 नवंबर तक विभिन्न निवेशकों से अभिरूचि प्रस्ताव (एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट-ईओआइ) मांगे थे। जवाब में मंत्रालय को 21 राज्यों के 44 शहरों से कुल 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 3,144 इलेक्ट्रिक बसें, 2430 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर टैक्सियां तथा 21,545 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शे चलाने की मंशा जताई गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया की ओर से राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार इनमें से 11 शहरों के प्रस्तावों का चयन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इनमें दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरू, अहमदाबाद तथा गुवाहाटी

का नाम शामिल है। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रति शहर 15 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद अलग से प्रदान की जाएगी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने जम्मू एवं गुवाहाटी को 15 ई-बसों के लिए जबकि बाकी नौ शहरों को 40 ई-बसों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी देने का एलान किया था। उन्होनें अहमदाबाद को 20, बंगलूरू को 100, इंदौर को 50, कोलकाता को 200 ई-टैक्सियों तथा बंगलूरू को 500, इंदौर को 200 तथा अहमदाबाद को 20 ई-थ्री ह्वीलर के लिए मदद प्रदान करने की घोषणा की थी। स्कीम के तहत शहरों का चयन दस लाख से अधिक आबादी के अलावा वाहनों की संख्या, वाहन प्रदूषण, स्वच्छ अभियान में शहर की रैंकिंग तथा स्मार्ट सिटी में शामिल होने के आधार पर किया गया है। स्कीम पर कुल मिलाकर 4055 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च करनी होगी।

आगे की राह

- इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं (जैसे चार्जिंग स्टेशन) को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक व्यापक बदलाव है जो जिवाश्म ईंधनों पर से निर्भरता को कम करेगा। जगह-जगह पेट्रोल/डीजल पंपों की तरह चार्जिंग प्वाइंट भी होने चाहिए।
- ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन की क्षमता कम है इसके लिए विदेशों से तकनीकी सहायता लेकर इलेक्ट्रिक वाहन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों में लंबी दूरी तय करने के लिए सीएनजी गाड़ियों की तरह ईंधन का वैकल्पिक स्रोत होना चाहिए।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की री-सेल वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत है साथ ही इनके मोटर को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि मोटर की लाइफ ईंधन वाहनों की तरह हो सके। इसके अलावा ओवर चार्जिंग की समस्या से निपटने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए।
- इलेक्ट्रिनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को इससे जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए एफडीआई एफएफआई के नियमों में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है।
- चूँकि ईवी भारत का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इसके लिए भारत को एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। सरकारी अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईवी की सफलता के लिए अनुदान सब्सिडी और स्पष्ट कानूनों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना सहयोग के भारत में न तो बेहतरीन बाजार का निर्माण हो सकता है और न ही विश्व के साथ वह प्रतिस्पर्धा में टिका रह सकता है।
- भारत को और ज्यादा सस्ती बैट्रियाँ और उनकी चार्जिंग सुविधा को विकसित करने की जरूरत हैं क्योंकि ईवी को महँगा उसकी बैटरी ही बनाती है इसके लिए बैट्रियों की अदला-बदली की जरूरत है। बैट्रियों की अदला-बदली की तकनीकी से बैट्रियों को ज्यादा छोटा हल्का और कुशल बनाया जा सकता है।
- बैट्री की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कच्चे माल पर निर्भरता बढ़ेगी। एक्सपर्टस का मानना है कि लिथियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट जैसी धातुओं, जो बैटरी के निर्माण में जरूरी हैं। इसके लिए चीन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ नये व्यापार समझौते की जरूरत है।
- ईवी के क्षेत्र में भारी निवेश व शोध की जरूरत को देखते हुए इस योजना में राज्यों की सहभागिता आवश्यक है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना वो प्रदेश हैं जिन्होंने अपने यहाँ ईवी को लेकर नीतियाँ बना रखें हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

■

3. प्राथमिक शिक्षा में नई एकीकृत शिक्षा नीति के मायने

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रूपए मंजूर किये गये हैं। प्रस्तावित योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के विजन के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है तथा इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कई स्तरों पर अध्यापकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिये प्रवेश प्रशिक्षण, आईसीटी कम्पोनेन्ट पर प्रशिक्षण, विस्तृत शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता तथा किशोरावस्था शिक्षा सहित गुणवत्ता सुधार के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद करती है।

नई एकीकृत शिक्षा योजना

उद्देश्य

- गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि,
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पटना,
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना,
- स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना,
- शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना,

- नि:शुल्का और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना,
- राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

लाभ

- शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण,
- पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश,
- सम्पूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन,
- गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर,
- शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना,
- शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए एससीईआरटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और डीआईईटी को सशक्त बनाना,
- डीटीके चैनल, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना,
- स्वच्छ, विद्यालय की मदद के लिए स्वच्छता गतिविधयों की विशेष व्यवस्था,
- सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारना,
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा 6-8 से लेकर 12वीं कक्षा तक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन,
- स्कूलों में कौशल विकास पर जोर,
- खेलो इंडिया के समर्थन में स्कूलों में खेलों और शारीरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की व्यवस्था,
- शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉल, चरमपंथ प्रभावित राज्यों, विशेष ध्यान देने वाले राज्यों / जिलों और सीमावर्ती इलाकों और विकास की आकांक्षा वाले 115 जिलों को प्राथमिकता।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

'सर्व शिक्षा अभियान' (एसएसए) भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है। 'एसएसए' में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) ,आंगनवाड़ी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवीवाई) भी शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत 2004 में हुई थी। केजीबीवीवाई के माध्यम से सारी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था लेकिन बाद में KGBVY योजना को 'एसएसए' के साथ विलय कर दिया गया। 'सर्व शिक्षा अभियान' (एसएसए) के अंतर्गत बालिकाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन आबादी वाले क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है, वहां नए स्कूल खोलना, नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रख-रखाव एवं स्कूल सुधार में दिए जा रहे अनुदान के माध्यम से उनमें सुधार लाना शामिल है। इसके अतरिक्त कई योजनाओं जैसे मुफ्त पुस्तकों के वितरण कर बच्चों को लाभ पहुंचाना है। एसएसए के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्वशिक्षा अभियान RTE अधिनियम के कार्यान्वयन का एक मुख्य साधन है। यह दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। यह मुख्यतया केंद्रीय बजट से प्राथमिक तौर पर वित्त पोषित है और पूरे देश में चलाया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ

भारत में शिक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education & RTE Act) बनाया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है।इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू हुए आठ साल हो चुके हैं। संयोग है कि इन्हीं दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। बीते महीने केंद्र द्वारा 60 शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देने और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। छात्रों और शिक्षकों के एक बड़े तबके का मानना है कि स्वायत्तता देने के फैसले के बाद उच्च शिक्षा और महंगी हो जाएगी।

इससे पहले जनवरी में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के हाल पर सवाल उठ खड़े हुए थे। इसमें यह बात सामने आई थी कि आठवीं में पढ़ रहे आधे से अधिक बच्चे साधारण गुणा-भाग के सवाल हल नहीं कर सकते। इस प्रकार रिपोर्ट में शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की गई थी। प्राथमिक शिक्षा बच्चों और नतीजन देश के भविष्य की भी बुनियाद मानी जाती है। शिक्षा के अधिकार कानून में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में आमूलचूल बदलाव का रास्ता खुलता हुआ दिखता है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों के साथ बीते साल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को देखें तो इस कानून के जमीनी अमल पर कई सवाल खड़े होते दिखते हैं।

केंद्रीय बजट में आरटीई के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता। इसे साल 2000-01 से चल रहे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ ही जोड़ा गया है। इस कानून के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को 65 फीसदी मदद देने का प्रावधान शामिल किया गया था। हालांकि, साल 2014-15 में केंद्र ने अपना हिस्सा घटाकर 60 फीसदी कर दिया। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (विशेष राज्यों) के लिए यह आंकड़ा 90 फीसदी है। साल 2018-19 के बजट में एसएसए के लिए 26,129 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह 2017-18 के मुकाबले 11 फीसदी अधिक है। हालांकि, यह रकम केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जरूरी संसाधनों के लिए आकलित रकम 55,000 करोड़ रुपये से काफी कम है। केंद्र सरकार सर्वशिक्षा अभियान के लिए बजट में रकम राज्यों द्वारा सौंपी गई वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर तय करती है। हालांकि, देखा गया है कि केंद्र, राज्यों द्वारा प्रस्तावित रकम से कम ही आवंटित करता है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए जारी रकम का तीन-चौथाई से भी ज्यादा हिस्सा शिक्षकों के वेतन और मकान सहित बाकी ढांचे को खड़ा करने में खर्च किया जा रहा है। साल 2017-18 में आवंटित रकम में इनकी हिस्सेदारी 76 फीसदी रही थी। दूसरी ओर

शिक्षक प्रशिक्षण, नवाचार, पुस्तकालय जैसी गुणवत्ता संबंधी मदों पर केवल 10 फीसदी रकम खर्च की गई। इसके अलावा किताबों, यूनिफॉर्म और समावेशी शिक्षा के उठाए जाने वाले कदमों के लिए यह आकंड़ा 14 फीसदी ही था।

आरटीआई कानून की धारा- आठ और नौ में कहा गया है कि यह राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षा के लिए बुनियादी संसाधान और ढांचे उपलब्ध कराएं। इनमें स्कूल की इमारत, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेल का मैदान, चारदीवारी, शिक्षक और सीखने के लिए अध्ययन सामाग्री शामिल हैं। इस कानून की धारा 19 (1) कहती है कि जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव में किसी स्कूल को मान्यता नहीं दी जा सकती। साल 2010 में जब इस कानून को लागू किया गया था तो बुनियादी संसाधन और ढांचे को तीन साल के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। हालांकि, अब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है।

सीएजी द्वारा सात राज्यों में ऑडिट के दौरान पाया गया कि 105 स्कूल बिना किसी इमारत के चल रहे हैं। इसके अलावा 858 स्कूलों को किराए के मकान में चलाया जा रहा है। आरटीआई कानून के मुताबिक स्कूल में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक क्लास रुम होना चाहिए। सीएजी द्वारा साल 2012-13 से लेकर 2015-16 के बीच ऑडिट में पाया गया कि इस शर्त को केवल 66 फीसदी स्कूल ही पूरा कर पाए हैं। जहां तक स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है तो इसे केवल 58 फीसदी स्कूल ही हासिल कर पाए हैं। इसके अलावा करीब आधे स्कूलों में ही खेल के मैदान और चारदीवारी मौजूद हैं।

शिक्षा के अधिकार को लेकर एक नागरिक संगठन आरटीआई फोरम की मानें तो 15 लाख सरकारी और निजी स्कूलों में से केवल आठ फीसदी ही कानून में तय मानकों को पूरा करते हैं। इनका कहना है कि स्कूलों की संख्या में लगातार कमी आई है। साथ ही, शिक्षकों के 13 लाख पद खाली हैं। इसके अलावा करीब 20 फीसदी अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ शिक्षा व्यवस्था को खींचा जा रहा है।

कानून के प्रावधानों के मुताबिक शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनावी कार्यों के अलावा और किसी गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद भी शिक्षकों की भारी कमी के बीच उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दे दी जाती है।

आरटीआई कानून के मुताबिक निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। निजी स्कूलों में सीमित सीट और नामांकन के लिए मारामारी के बीच किसी गरीब के लिए अपने बच्चों के कदम इनके दरवाजे के अंदर करवाना टेढ़ी खीर जैसा होता है। इस साल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (डीपीआई) के पास 1.58 लाख सीटों के लिए 2.28 लाख आवेदन आए हैं।

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018: लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस' शिक्षा पर केंद्रित थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि निम्न और मध्यम आय वाले 12 ऐसे देशों की सूची में, जहाँ शिक्षा व्यवस्था की हालत दयनीय है, भारत दूसरे नंबर पर है।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु सरकारी पहल

इन सब बातों के बाबजूद वर्तमान सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए वर्षों से चली आ रही सुसुप्तावास्था को तोड़ते हुए कई सुधार कार्यक्रमों को लागू किया है जिसमे नई एकीकृत शिक्षा नीति, के साथ इस वर्ष का शिक्षा बजट भी शामिल है। नई एकीकृत शिक्षा योजना से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर मिलेगा। इससे स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों के आगे शिक्षा जारी रखने के मामलो में बढ़ोतरी होगी तथा बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक रूप से मौका मिलेगा। योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें विभिन्न तरह के कौशल और ज्ञान में दक्ष बनाना है जो उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही भविष्य में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। इस योजना से बजटीय आवंटन का बेहतर और मानव संसाधन तथा पूर्ववर्ती योजनाओं के लिए तैयार की गई संस्थागत संरचनाओं का प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा।

साल 2018-19 के वित्त बजट में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर खास जोर देते हुए प्ले स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा को समग्र रूप से आगे बढ़ाने तथा अगले चार वर्ष में शिक्षा अनुसंधान एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने के लिए सरकार धीरे-धीरे ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की ओर रुख करने की पहल पर जोर दे रही है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान एवं संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सरकार ने रीवाइटेलाइजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (राइस) नाम से एक प्रमुख पहल शुरू करने की घोषणा की तथा आदिवासी बच्चों को उनके खुद के वातावरण में अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 तक अनुसूचित जनजाति की 50 फीसदी आबादी और कम से कम 20000 आदिवासी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। तथा एकलव्य स्कूलों को नवोदय विद्यालय की तरह माना जाएगा और इन स्कूलों में खेल एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु विश्व बैंक ने भी कहा की सरकार को शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए इसके साथ शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सरकारी खर्च को बढ़ाना तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा नीति को समावेशी बनाना होगा तभी भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं।

निष्कर्ष

आजादी के आंदोलन के दौरान शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी का कहना था, 'जो कांग्रेसजन स्वराज्य की इमारत को बिलकुल उसकी नींव या बुनियाद से चुनना चाहते हैं, वे देश के बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते प्राथमिक शिक्षा बच्चों और नतीजन देश के भविष्य की भी बुनियाद मानी जाती है यही कारण है कि सभी देश एक निश्चित अंतराल पर शिक्षा में सुधार करने का कठिन प्रयास करते हैं और अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करते हैं। भारत को भी इस दिशा में वाजिव कदम उठाते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

4. मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव है। विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता और चयन के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है। बताया गया है कि, विधेयक में केन्द्रशासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी और संस्थान अपने दायित्वों और भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे। इसके जरिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) कारगर तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे।

मानव अधिकार क्या है?

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गये हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गये हैं और देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, को मानव अधिकार माना जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन काल से ही यहां लोगों के सम्मानपूर्वक एवं यथोचित जीवन की सुरक्षा हेतु कुछ मानवाधिकार कानून एवं मूल्यों की उपस्थिति रही है। मानवाधिकार के आदर्शों व मूल्यों का आधार लोगों के आधुनिक व प्रजातांत्रिक जीवन हेतु देश के राष्ट्रीय नेताओं ने रखा। परिणामतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा मानवाधिकार के संरक्षण पर पूरा बल दिया। आजादी के बाद भारत के संविधान के रूप में राष्ट्रीय नेताओं को वह मुख्य अस्त्र मिला जिसके माध्यम से वे लोगों को मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों आदि के द्वारा मानवाधिकार उपलब्ध करा पाए। इसके अलावा, सरकार ने मानवाधिकार के संकल्प तथा प्रोत्साहन हेतु कई निकायों व संस्थाओं के भी गठन का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संबंधी सारे तथ्यों का वृहद विवरण प्रस्तुत करता है।

विश्व के सभी भागों में मानवाधिकार कानून की उपस्थिति एवं कार्यान्वयन एक नवीनतम घटनाक्रम है। मानवाधिकार का मूल सोलहवीं शताब्दी के सामाजिक समझौता सिद्धांत में निहित है जिसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त हैं और इनमें किसी सकारात्मक हस्तक्षेप की भी गुंजाइश नहीं है। शुरूआत में मानवाधिकार की धारणा किसी निश्चित सकारात्मक कानून की अनुपस्थिति में भी यह विधमान थी। हालांकि एक तरफ जीवन में जटिलता आने से और दूसरी तरफ विभिन्न देशों और लोगों के बदलती हुई सोच के संदर्भ में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत मानवाधिकार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पर सार्वजनिक घोषणापत्र (1948) की पहल के साथ ही कई देशों ने संवैधानिक एवं वैधानिक कानूनों के अंतर्गत मानवाधिकार को लागू करने पर बल दिया।

आजादी के बाद उदारवादी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना से ही मानवाधिकार कानून की संस्थागत व्यवस्था अपनाने वाले देशों में विश्व में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश में मानवाधिकार कानून के निकाय के रूप में उसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है- संवैधानिक तथा वैधानिक। मानवाधिकार संबंधी संवैधानिक कानून को इसके विभिन्न शीर्षक तथा प्रावधानों जैसे - प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि के तहत वर्णन किया गया है। मानवाधिकार पर वैधानिक कानून समाज के वंचित वर्गों जैसे महिला, बच्चे, अशक्त व्यक्ति, पिछड़े वर्ग आदि के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं या कानूनों का निर्धारण करते हैं। ऐसे कानूनों में शामिल हैं - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, अशक्त लोग (समान प्रतिनिधित्व अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण सहयोग) अधिनियम 1995 आदि। इसके अलावा, देश में मानवाधिकार कानून संहिता में कई अन्तर्राष्ट्रीय सहमति, अभिसमय, संधियां इत्यादि जो भारत सरकार ने अन्य राष्ट्रों से की है, शामिल हैं। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रपत्र में मानव अधिकार पर सार्वजनिक घोषणा पत्र जैसे सामान्य विधायन के अलावा महिला, बच्चे, अशक्त, अल्पसंख्यक आदि जैसे विशेष समूहों के मानवाधिकार के संरक्षण को लक्षित विविध प्रक्रिया शामिल हैं।

संविधान में मानव अधिकार कानून

भारत का संविधान आधुनिक भारत के निर्माताओं के स्वस्थ्य एवं सम्मानीय आदर्शो का निरूपण है जिसकी संक्षिप्त कलाकारी संविधान की प्रस्तावना के रूप में मिलती है। प्रस्तावना के पहले भाग में वर्णित हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए- भारतीय राजनीति की प्रकृति को दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरे भाग में वर्णित प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यकित, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, भाई चारा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिशिचत करना, का तात्पर्य है, भारत के लोगों के मानवाधिकार के मौलिक तत्वों को दर्शाना। ये दोनों भाग मिलकर संविधान की आत्मा को दर्शाते हैं।

प्रस्तावना में दर्शाये गए न्यायपूर्ण आदर्शों का प्रतिरूप संविधान के तीसरे भाग में लोगों के मौलिक अधिकारों के रूप में परिलक्षित होते हैं। ये छह प्रकार के हैं - समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24), धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28), शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32)। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अधिक विस्तृत व व्यापक है। यह राज्य या किसी व्यकित द्वारा प्राप्त व्यकितगत अधिकारों को नष्ट होने से बचाता है। ये मौलिक अधिकार देश में संवैधानिक अधिकार कानून के मुख्य अंग हैं।

मानवाधिकार के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की दिशा में संविधान निर्माताओं ने ना सिर्फ लोगों के मानवाधिकारों के दावों की विशेष व्यवस्था की बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपबंध कर राज्यों पर भी कुछ दायित्व डाले। भारत जैसे देश में जहां जटिल सामाजिक वर्गीकरण, विभेदीकरण, आर्थिक असमानता एवं अधिकांश लोगों का वंचित रहना आदि तत्व मौजूद थे, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक निर्देशक तत्व देश में लोगों के मानवाधिकार के मौलिक तत्वों की रक्षा करते हैं। वास्तव में देश में नीति निर्देशक तत्वों के गुण मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप अपनाये हैं। इसके अंतर्गत पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 39 क), कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा (अनुच्छेद 39 ड.) बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध (अनुच्छेद 45), पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का उपबंध (अनुच्छेद 47) आदि प्रावधान वर्णित हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आम लोगों को उनकी जीविका हेतु जो मौलिक आवश्यकता होती है उन्हें इसके अंतर्गत पूरा किया जाता है जो अधिकार उन्हें पहले से प्राप्त न हो। अन्तत: यह कहा जा सकता है कि संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मानवाधिकार ढांचा लोगों के सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकारों का सबसे अच्छा सम्मिश्रण है जिसका सर्वोच्च निरूपण संविधान के प्रस्तावना में मिलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में मानवाधिकार कानून

संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के अंतर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के सार्वभौमीकरण का पहला प्रयास किया गया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध राष्ट्रों में से कई राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के अधीन ऐसे समझौते तथा संधियों को स्वीकारा और उस पर हस्ताक्षर किये। इन राष्ट्रों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है जिसने संयुक्त राष्ट्र के ऐसे प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ कई समझौते एवं संधियों के प्रारूप निर्माण में सहभागिता भी की। अन्तर्राष्ट्रीय संधि व समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत सरकार को घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रारूप की जरूरत के मुताबिक उसके कानून में सुधार की गुंजाइश बनी।

भारत द्वारा मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणापत्र 1948 पर हस्ताक्षर करने से एक युग की शुरूआत हुई जो अब तक कम महत्व की थी। भारत ने मानवाधिकार से संबद्ध बड़े पैमाने पर कानून एवं विधान बनाये। इसमें मानव व्यापार एवं वेश्याओं को अन्य के शोषण से बचाना (1953), शादीशुदा महिलाओं को राष्ट्रीयता देने का अभिसमय (1957), भ्रूण हत्या के अपराध से बचाव तथा दंड के अभिसमय (1959), महिलाओं के राजनीतिक अधिकार के अभिसमय (1961), जातिगत विभेदीकरण के सारे रूपों का उन्मूलन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (1968), बच्चों की रक्षा से संबंधित अभिसमय (1971), रंगभेद को रोकने तथा इसके अपराध के लिए दंड का प्रावधान संबंधी अभिसमय (1977), आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (1979), महिलाओं के साथ विभेदीकरण के समस्त प्रारूपों का उन्मूलन का अभिसमय (1981) तथा यातना एवं अन्य निर्दयतापूर्वक, अमानवीय या दंड के विकृत स्वरूप के विरूद्ध अभिसमय (1997) आदि प्रमुख हैं। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार कानूनों के विस्तृत प्रारूप की महत्ता सरकार एवं आम नागरिक दोनों के लिए है। देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भी सशस्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों को यह निर्देश दिया जा चुका है कि मानवाधिकार हनन से संबंधित शिकायतों एवं आरोपों को गंभीरतापूर्वक सुनें और दोषियों के खिलाफ शख्त कार्रवाई करें। मानवाधिकार संबंधित बड़े पैमाने पर कानून का मौजूद होना देश को मानवाधिकार के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के प्रति सजग बनाता है। मगर देश में फिर भी कभी-कभी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आते रहते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

भारत में मानवाधिकार कानून का प्रवर्तन

भारत में मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व कुछ कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अधिकरणों, सर्वोच्च न्यायालय सहित, के कंधों पर है। वस्तुत: सारे मानवाधिकार कानूनों के अनुपालन का दायित्व व्यक्तियों एवं सरकारी एजेंसियों दोनों का है। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग द्वारा भी लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है। इसलिए स्थापित राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देश में न्यायपालिका को मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों को देखने सुनने का अधिकार प्राप्त है जो अपने न्यायिक निर्णय के तहत लोगों को राहत प्रदान करती है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक ढांचा के सर्वोच्च शिखर पर 1993 में मानव अधिकार इकाई का गठन किया गया जो मानवाधिकार से संबंधित समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। व्यक्तिगत या राज्य एजेंसियों द्वारा लोगों के मानवाधिकार हनन से संरक्षण हेतु देश की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है।

देश में स्थापित राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा मानवाधिकार के हनन की स्थिति में मानवाधिकारों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव को समुचित रूप से लागू करने में सफल न रहने के कारण, सरकार ने देश में मानवाधिकार के मामलों से संबंधित एक मुख्य एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का निर्णय लिया। यह आयोग लोगों के मानवाधिकार के हनन वाले मामले की जांच करता है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बाद मानवाधिकार प्रशासन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसने देश के लोगों के मानवाधिकार के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया और उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में समय दर समय कई बदलावा किये गये जिससे कि मानव के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान केन्द्र सरकार मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति प्रदान करके मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य किया है। इस संशोधन विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- विधेयक, आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता और चयन के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक में केन्द्र शासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
- विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।

संशोधन विधेयक के लाभ

इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार से संबंधित संस्थानों को मजबूती मिलेगी और संस्थान अपने दायित्वों और भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) कारगर तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे।

पेरिस मानवाधिकार सिद्धांत

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप मार्गनिर्देशक तत्वों का एक प्रारूप तैयार किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद द्वारा वर्ष 1992 में पेरिस सिद्धांत नाम से अनुमोदित किया गया। पेरिस सिद्धांत विश्व भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के विकास हेतु केन्द्रीय बिंदु बन गये हैं। यह सिद्धांत राष्ट्रीय मानवधिकार संस्थाओं के तीन प्रमुख क्षेत्रों से संबंध रखते हैं जिनमें स्वायत्तता और उत्तरदायित्व, रचना और कार्यसंचालन की विधियां तथा व्यक्तिगत शिकायतों के निपटान की क्षमता शामिल हैं।

आगे की राह

समग्रत: देश में मानव अधिकार के संरक्षण तथा प्रोत्साहन की दिशा में संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत एक वैधानिक इकाई के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ने देश में एक नयी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से आयोग ने कई सरकारी एजेंसियों की कमजोरियों को उजागर किया है किंतु देश में मानवाधिकार हनन के सभी मामलों पर यह ऊंगली या आवाज नहीं उठा सकता है। आयोग उन मानवाधिकारों के हनन के मामले को उठा सकता है जो सामाजिक ताकतें या व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से किया जाता है। किंतु सरकारी तंत्र और सुरक्षा एजेंसिसों द्वारा गलत स्थिति बनाए जाने के कारण पीड़ितों के मानवाधिकार हनन का उपयुक्त समुचित समाधान निकालने में यह असमर्थ हो जाता है। राज्य स्तर पर स्थिति और भी बुरी तब हो जाती है जब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना न हुई हो, जिन राज्यों में इनकी स्थापना हुई है वाहं भी यह राज्य में मानवाधिकार के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए समुचित शक्ति और प्रशासनिक सहायता व्यवस्था के अभाव में प्रभावी रूप में कार्य नहीं कर पा रहा है। यह आवश्यक है कि सभी राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हो तभी सही दिशा में कार्य की शुरूआत हो सकती है। ऐसे आयोग की स्थापना में मौलिक उद्देश्य तभी सफल परिणाम ला सकता है जब दो तरह की परिस्थितियां उपस्थित हो। पहला, आयोग के पास मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में प्रभावी कदम उठाने की पर्याप्त शक्ति तथा प्रशासनिक मदद मिले, दूसरा ऐसे निकायों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना अत्यावश्यक है जिससे ऐसा न लगे कि वो सिर्फ सरकारी एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। इन आयोगों को वैसे वैधानिक निकाय के रूप में सामने आना होगा जो देश के उन असहाय नागरिकों की समस्याओं जिनके मानवाधिकार का हनन किया गया हो का समुचित समाधान ढूँढ सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

5. चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ने से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही में चीन की संसद ने 11 मार्च 2018 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दो कार्यकाल की समय सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक चेयरमैन माओत्सेतुंग के बाद आजीवन सत्ता में बने रहने वाले पहले चीनी नेता होंगे। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा खत्म करने के सीपीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के करीब 30,000 सांसदों में से दो तिहाई बहुमत ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को महज दो कार्यकाल देने की अनिवार्यता खत्म करने के पक्ष में मतदान किया था। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष संगठन सात सदस्यीय स्थाई समिति ने इस संशोधन को आम सहमति से मंजूरी दे दी है। एनपीसी को देश के अधिकार विहीन संसद के रूप में देखा जाता है। जो हमेशा सीपीसी के सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे देता है ऐसे में इस संविधान संशोधन को भी संसद में बिना किसी रूकावट के ध्वनिमत से पारित होने की पूरी संभावना पहले से ही थी। शी जिनपिंग तब तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक वह अवकाश नहीं लेते या उनका निधन नहीं हो जाता या उनको सत्ता से हटाया नहीं जाता। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के अलावा शी जिनपिंग चीन की सेना के सर्वोच्च निकाय 'केन्द्रीय सैन्य आयोग' के भी अध्यक्ष हैं। हालांकि चीन में पार्टी के महासचिव का पद राष्ट्रपति से

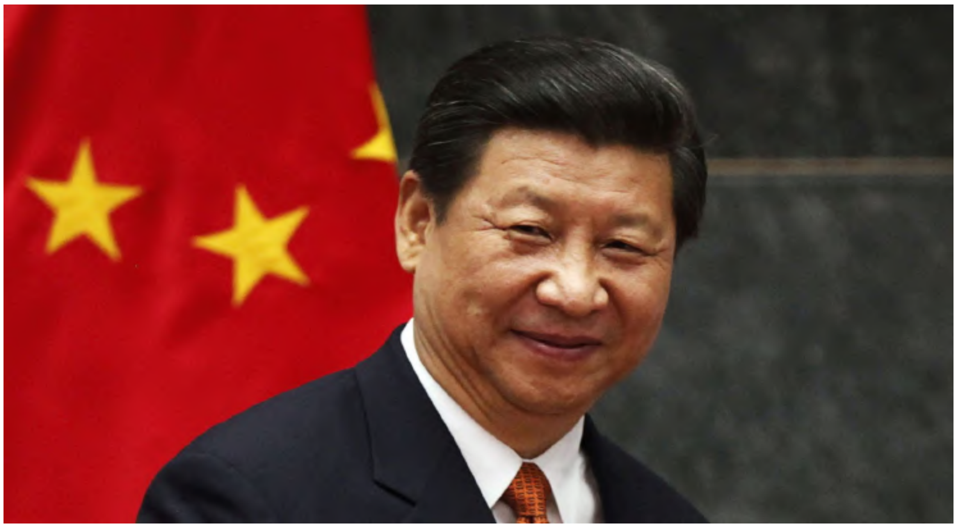

ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि राष्ट्रपति आमतौर पर बाहरी दुनिया के साथ कार्य व्यापार करते हैं। शी जिनपिंग वर्ष 1974 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) में शामिल हुए। उन्हें वर्ष 2008 में चीन का उपराष्ट्रपति बनाया गया। वे वर्ष 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन बने। वे एक साल बाद चीन के राष्ट्रपति बने।

पृष्ठभूमि

सन यात्सेन, जिन्हें चीन में सुन चुंग यान के नाम से जाना जाता है 1911 ई० में चीन की क्रांति के न केवल प्रवर्तक थे बल्कि इसके प्रेरक भी थे। इन्होने चीन को भ्रष्ट विदेशी राजवंश के शासन से मुक्त करा कर एक नयी जनतांत्रिक सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया था। कुओमिन्तांग चीन का प्रथम आधुनिक राजनीतिक दल था। इसका पुनर्गठन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 30 जनवरी 1924 ई० को हुआ। चीन के साम्यवादी दल की स्थापना 1921 ई० में हुई। माओत्सेतुंग, लिउ शाओछि, चोए अनलाइ आदि नेताओं ने इस दल के शुरूआती दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC) के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी एक सदनीय संसद है। इसके सदस्यों का चुनाव पांच साल के लिए होता है। पुराने कानून के मुताबिक चीन में किसी व्यक्ति को लगातार दो बार ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता था। बता दें कि चीन में राष्ट्रपति डेंग जाओपिंग ने 1982 में एक विधेयक पेश किया था। जिसके तहत अगला कोई भी राष्ट्रपति दो बार से ज्यादा इस पद पर नहीं रह सकता था। माना जाता है कि जाओपिंग ने ये कदम माओत्से तुंग के 1966-76 के कार्यकाल की वजह से लिया था। इस दौरान चीन में हुई सांस्कृतिक क्रांति में कई नागरिकों की जान गई थी। अत: चीन में अनिश्चित काल तक शासन का नियम पहले भी रह चुका है। माओत्सेतुंग चीन के बहुत बड़े क्रांतिकारी, राजनैतिक और कम्युनिस्ट दल के नेता थे। इन्हें चीनी क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक चीन पर शासन किया था। माओत्से तुंग की मौत के बाद सत्ता में आए देंग शियोपिंग ने वर्ष 1982 में अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति द्वारा सत्ता में बने रहने का नियम खत्म कर दिया था। उन्होंने समय सीमा अनिश्चित काल से हटाकर 10 साल कर दी थी। अब फिर से इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है और शी जिनपिंग माओत्सेतुंग के बाद सबसे अधिक सत्ता में रहने वाले राष्ट्रपति होंगे।

कार्यकाल वृद्धि से भारत पर प्रभाव

शी जिनपिंग का कार्यालय असीमित करने पर दुनिया भर में खासकर पड़ोसी देशों में चिंता पैदा हुई है। पिछले साल के डोकलाम गतिरोध को देखते हुए भारत पर इसका विशेष तौर पर प्रभाव पड़ेगा। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन भारत के पड़ोसी देशों में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। इनमें कश्मीर से होकर गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरीडोर, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के लिए रास्ता साफ होना भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट ऐंड रोड पहल (BRI) भारत के साथ चीन के संबंधों में बड़ी बाधा बन सकता है। BRI अरबों-खरबों डॉलर की योजना है जिसे जिनपिंग ने साल 2013 में उस समय लॉन्च किया था जब वह सत्ता में आए थे।

BRI में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी शामिल है, जिसका भारत विरोध करता है क्योंकि यह प्रॉजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत ने बीते साल चीन द्वारा आयोजित बेल्ट ऐंड रोड फोरम का भी बहिष्कार किया था। चीन के प्रभाव को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए रोड, पोर्ट और रेल नेटवर्क बिछाने के मकसद से BRI की शुरूआत की गई थी। 11 मार्च को चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की समय सीमा खत्म करने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि शी इस पहल पर और जोर दे सकते हैं।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने यह ऐतिहासिक फैसला उस समय लिया है जब CPEC और 73 दिनों तक चले डोकलाम विवाद के बाद भारत-चीन दोबारा अपने रिश्ते ठीक करने के तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने चीन की यात्रा पर जाएंगी, जिसे अधिकारी दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सख्त संदेश मान रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि भारत में चीन की तरफ से होने वाले निवेश पर असर पड़ा है क्योंकि हाल के सालों में चीन अपना सारा बाहरी निवेश सिर्फ BRI के तहत कर रहा है। भारत BCIM (बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर) का भी हिस्सा है, जिसमें बहुत कम प्रगति देखने को मिली है। अधिकारियों की माने तो साल 2015 में जब शी जिनपिंग भारत आए थे तो उन्होंने 20 अरब डॉलर निवेश का वादा किया था लेकिन अभी तक यह सिर्फ 3.5 अरब डॉलर ही है। जिनपिंग के असीमित कार्यकाल का मतलब है वह साल 2023 के बाद तक चीन की सेना पर अपना नियंत्रण रखने वाले हैं। जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी में चीन के विषयों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली कहते हैं कि, चीन में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति बस नाममात्र के शासक होते हैं। असली ताकत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जनरल सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन के हाँथ में होती है। वहीं पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल के मुताबिक शी कह चुके हैं कि साल 2035 तक चीन की सेनाएं इतनी ताकतवर होंगी कि वह कोई भी जंग आसानी से जीत पाएंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि साल 2049 तक वह चीन को अंतर्राष्ट्रीय-संबंधों के केन्द्र में देखना चाहते हैं। सिब्बल के मुताबिक इसका साफ मतलब है कि इससे भारत पर दबाव बढ़ेगा।

न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी। सीमा विवाद से अलग जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मौलाना मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस में आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर

हमेशा चीन, अड़ंगा डालता है। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) में भी भारत की एंट्री को लेकर चीन अक्सर ही रोड़ा अटकाता है। इन सबके अलावा भारत की कई अपील के बाद भी चीन की ओर से घुसपैठ का सिलसिला जारी है। सितंबर 2014 में जब चीन राष्ट्रपति जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बुलावे पर भारत आए थे तो उसी समय चीनी सेना की ओर से घुसपैठ हुई थी। मसूद अजहर, एनएसजी और घुसपैठ का मुद्दा जिनपिंग के शासन में सुलझेगा इस बात की संभावना कम ही नजर आती है।

भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष जब डोकलाम विवाद हुआ तो तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया था। दोनों देशों की सेनाएं करीब 73 दिनों तक आमने-सामने थीं। हाल ही में विदेश सचिव विजय गोखले ने चिठ्ठी लिखकर सरकारी अधिकारियों और कुछ नेताओं को तिब्बत की निर्वासित सरकार के उन कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा गया है जो दलाई लामा के भारत पहुंचने के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग का असीमित कार्यकाल भारत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। जब से चीन में बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और लि कियांग ने बतौर प्रधानमंत्री अपने पद की जिम्मेदारी ली है तब से ही भारत के साथ संबंध ों में उतार-चढ़ाव जारी है।

भारत-चीन संबंधों में आगे की राह

चीनी विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त चाइना इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के वाइस प्रेसिडेंट रॉन्ग यिंग कहते हैं कि दोनों देशों को विश्वास की कमी दूर करने की जरूरत है। उन्होंने हलांकि यह भी कहा कि शी के लंबे कार्यकाल से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस दोनों को डोकलाम विवाद से सही सबक लेने की जरूरत है। तभी हम एक स्थायी रिश्ते के लिए काम कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका और चीन में ट्रेड वार की शुरूआत हो चुकी है। पहले अमेरिका ने चीन से एल्युमीनियम और स्टील पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी। अब चीन ने उसी की भाषा में जबाव देते हुए अमेरिका से इम्पोर्ट होने वाले 128 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया है। दरअसल, अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन को भारत का सहारा लेना पड़ा। चीन ने एक खास प्लान के तहत अमेरिका को करारा जवाब दिया है। इसके लिए चीन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने से पहले भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने यहां एंट्री देने पर रजामंद हो गया है। चीन ने जिन अमेरिकी एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगाया है उसकी भरपाई के लिए अब वह भारत से उस प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट करेगा। इस ट्रेड वार के बीच भारत और चीन अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका से आने वाले फल और इसी तरह के 120 प्रोडक्ट पर 15 फीसदी का टैक्स लगाया है। इसके उलट, चीन के बाजारों को भारत के सोयाबीन, चीनी, चावल और सरसों के लिए खोला जाएगा। पिछले महीने भारतीय ट्रेड डेफिसिट को कम करने पर सहमत हुए थे। भारत चीन से जितना आयात करता है, उस मुकाबले निर्यात बहुत कम है। इसे देखते हुए चीन अपने बाजारों को भारत के लिए खोलेगा। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा।

ऑफिशल चाइना इंस्टिट्यूट ऑफ कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस के डायरेक्टर हू शिशेंग ने बताया, 'दोनों देशों की तरफ से संबंधों को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और चीन के लिए इस क्षेत्र में भारत के साथ संबंधों का बहुत महत्व है। हू कहते हैं कि दोनों देशों को लचीला रूख अपनाना होगा। जहां एक तरफ चीन को भारत के ऊपर निवेश पाने के लिए BRI का हिस्सा बनने का दबाव नहीं डालना चाहिए तो वहीं, भारत को भी इसी तरह का रवैया अपनाना चाहिए 'दोनों देशों को डोकलाम के अलावा जैश सरगना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने, नयूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री जैसे मुद्दों पर मतभेदों को दूर करना है ऐसे में उन्हें बीआरआई को लेकर मौजूदा मतभेदों को दूर करने के लिए कुछ समाधान खोजना चाहिए। हूँ शिशेंग ने कहा अब शी जिंगपिंग का लंबे समय तक राष्ट्रपति रहना तय है और वह बीआरआई को बेहद गंभीरता से लेंगे क्योंकि यह उनका प्रोजेक्ट है चीन लगातार यह कहता आ रहा है कि बीआरआई का कश्मीर को लेकर उसके रूख पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस मुद्दे को भारत-पाकिस्तान को सुलझाना चाहिए। चीन ने भारत की आपत्तियों को दूर करने के लिए CPEC का नाम बदलने तक का प्रस्ताव दिया है।''

क्या है NPC और CPPCC?

NPC: यह चीन की वह संस्था है जिसे हम संसद कह सकते हैं और जिसका काम कानून बनाना है। इसे ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमर्स' या अमेरिका के 'हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स' की तरह मान सकते हैं।

चीन के संविधान के अनुसार, NPC देश की सबसे ताकतवर संस्था है, लेकिन माना यह जाता है कि NPC में केवल वही सब होता है जिसके लिय उसे निर्देश दिये जाते हैं।

इस वर्ष NPC में 2,963 प्रतिनिधि शामिल हुए, जो चीन के विभिन्न प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, केन्द्र प्रशासित नगरपालिकाओं, हांगकांग और मकाऊ के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसमें 742 महिला प्रतिनिधि थीं जो पिछले एनपीसी के मुकाबले 25% अधिक था और इसमें 438 जातीय अल्पसंख्यक भी शामिल थे।

CPPCC: यह चीन की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सलाहकार संस्था है। इसको आप 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' या 'अमेरिकी सीनेट' की तरह मान सकते हैं। CPPCC केवल सलाह देने का काम करती है क्योंकि इसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिलहाल CPPCC में 2,158 सदस्य हैं, जिनमें मनोरंजन, खेल, विज्ञान, व्यापार जगत सहित गैर-वामपंथी दलों के भी लोग होते हैं।

इन दोनों की बैठकें एक से दो सप्ताह तक चलती हैं और इन्हें 'two sessions' कहा जाता है। इस वर्ष CPPCC का अधिवेशन 3 मार्च से और NPC का अधिवेशन 5 मार्च से शुरू हुआ था।

निष्कर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन दोनों को अपने संबंधों को मधुर बनाने की दिशा में प्रयास करने होंगे क्योंकि दोनों देश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ पड़ोसी भी हैं। अतः भारत और चीन को उन हितों को पहचानना होगा जहाँ दोनों के मत एक हों जैसे धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को रोकने में दोनों देशों की एक समान रूचि है। इसके अलावा भारत को एक पक्ष बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने के संदर्भ में भी सोचना चाहिए क्योंकि बीआरआई भारत के लिए निःसंदेह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि भारत की दक्षिण पूर्व एशिया में परिवहन की स्थिति बहुत कमजोर है। वर्तमान में अमेरिका-चीन ट्रेड वार के माध्यम से भी इस समय भारत के पास चीन से संबंधों को मधुर बनाने का बेहतर अवसर है। अतः भारत को शी जिनपिंग के कार्यकाल वृद्धि को सकारात्मक दृष्टि से ही देखना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

6. ऑनर किलिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

चर्चा का कारण

ऑनर किलिंग के मसले पर उच्चतम न्यायालय ने स्वेच्छा से अंतर-जातीय विवाह करने वाले दो वयस्कों के मामले में खाप पंचायत जैसे समूहों के दखल को पूरी तरह गैर कानूनी करार देते हुए इन पर पाबंदी लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं और कहा है कि इस संबंध में संसद से कानून बनने तक ये प्रभावी रहेंगे। शीर्ष अदालत की व्यवस्था से अंतर-जातीय विवाह करने वाले उन दंपतियों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें अक्सर ऐसी शादी करने पर विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार तो परिवार की इज्जत (झूठी शान) के नाम पर इनकी हत्या कर दी जाती है। शीर्ष अदालत ने 2010 में गैर-सरकारी संगठन 'शक्ति वाहिनी' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाए गए फैसले में खाप पंचायतों पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को लेकर प्रदेशों की सरकारों को खाप पंचायतों पर नजर बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने विवाह को लेकर होने वाली पंचायतों पर स्वयं एसपी व डीसी को संज्ञान लेने को कहा है। इसके बावजूद अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के भी आदेश दिए थे।

ऑनर किलिंग क्या है?

ऑनर किलिंग या सम्मान हेतु हत्या, वह हत्या है जिसमें, किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की (आमतौर पर एक महिला) की हत्या उसी परिवार, वंश या समुदाय के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा की जाती है और हत्यारे इस विश्वास के साथ इस हत्या को अंजाम देते हैं कि परिवार के अनुमति के विरूद्ध विवाह अथवा प्रेम संबंध बनाने वाले सदस्यों के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है, ऑनर किलिंग कहलाता है। अपमान की यह धारणा सामान्यत: निम्न कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है-

- परिवार की मर्जी के विरुद्ध अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करना।
- यदि विवाह अंतरजातीय हो अथवा एक ही गोत्र में किया गया हो।
- परिवार द्वारा नियत विवाह से इंकार करना।
- समुदाय द्वारा निर्धारित वस्त्र संहिता का उल्लंघन कर कोई अन्य परिधान पहनना।
- समलिंगी आचरण करना। (समान लिंग के व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या विपरीत लिंगी के समान आचरण और वस्त्र धारण)
- विवाह पूर्व या विवाहोपरांत किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ किसी महिला या पुरुष का यौन संबंध स्थापित करना।

पृष्ठभूमि

खाप पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। ये पंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और राजस्थान के तमाम इलाकों में छठवीं-सातवीं शताब्दी से प्रभाव में देखी जा सकती हैं, ये समाज के सामाजिक-आर्थिक संगठन का एक रूप थीं। परम्परागत तौर पर एक खाप के तहत एक ही गोत्र के 84 गाँव आते थे इसके नीचे सात-सात गाँवों के समूह होते थे, जिन्हें थाम्बा (Thamba) कहा जाता था। एक थाम्बा में 12 गाँव होते थे। बाद में, कई ऐसी खापें अस्तित्व में आई जिनमें 12 या 24 गाँव होते थे। फिलहाल, जाटों की कई प्रभावी पंचायतें हैं जैसे कि बालियान खाप, धनकड़ खाप, रमाला चौहान खाप, बत्तीसा खाप, आदि। महेन्द्र सिंह टिकैत (किसान नेता) स्वयं बालियान खाप के मुखिया थे।

खाप पंचायत में विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि, समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जाए तो स्थापित मान्यताएँ, विश्वास, परम्पराएँ और मर्यादाएँ खत्म हो जाएँगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचलन में है। इसी आधार पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।

जब किसी परिवार में कोई समस्या जन्म लेती है तो सर्वप्रथम संबंधित परिवार ही सुलझाने का प्रयास करता है। यदि परिवार के मुखिया का फैसला नहीं माना जाता है तो इस समस्या को समुदाय और ग्राम समाज की पंचायत में लाया जाता है। दोषी व्यक्ति द्वारा पंचायत का फैसला नहीं माने जाने पर ग्राम पंचायत उसको गाँव/ समाज से निकालने, लेन-देन पर रोक आदि का हुक्म जारी करती हैं। यदि समस्या गोत्र से जुड़ी हो तो गोत्र पंचायत होती है जिसके माध्यम से दोषी को घेरा जाता है।

खाप का अर्थ

खाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के कई राज्यों में स्थापित है। इनमें मुख्य रूप से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। खाप शब्द का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि खाप दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं ख और आप...इनमें ख का मतलब है आकाश और आप का अर्थ है पानी। कहने का मतलब एक ऐसा संगठन जो आकाश की तरह सर्वोपरि हो और पानी की तरह स्वच्छ हो। खाप पंचायतें दरअसल प्राचीन समाज का वह रूढ़िवादी हिस्सा है, जो आधुनिक समाज और बदलती हुई विचारधारा से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है।

खाप पंचायतें इस तरह करती हैं काम

- एक गोत्र या फिर बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं। ये पांच गावों की या 20-25 गांवों की भी हो सकती है। जो गोत्र जिस इलाके में ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में ज्यादा दबदबा होता है। कम जनसंख्या वाले गोत्र भी पंचायत में शामिल होते हैं लेकिन प्रभावशाली गोत्र की ही खाप पंचायत में चलती है। सभी गांव निवासियों को बैठक में बुलाया जाता है, चाहे वे आएं या न आएं, जो भी फैसला लिया जाता है उसे सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताया जाता है और ये सभी के लिए पत्थर की लकीर मान ली जाती है।

क्या है कानूनी प्रावधान?

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने 22 जून 2010 को देश में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार और नौ राज्यों को नोटिस जारी किया। इस मामले की जांच के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का एक समूह बनाया जिसमें ऐसी हत्याओं की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता और

भारतीय प्रमाण अधिनियम की अनुकूलता के ऊपर विचार-विमर्श किया गया। काफी बहस के बाद मामला विधि आयोग को सौंप दिया गया। 2011 में न्यायमूर्ति पी० वी० रेड्डी की अध्यक्षता वाले आयोग ने देश में ऑनर किलिंग को रोकने के उद्देश्य से विधेयक का प्रारूप पेश किया।

- आयोग ने सिफारिश की कि, देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह करने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है। गाँव के बुजुर्ग या परिवार के बड़े लोग इच्छुक जोड़े को मजबूर नहीं कर सकते और किसी को भी समुदाय की इज्जत या परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर मुश्किल नियम थोपने का कोई हक नहीं है। आयोग का कहना था कि हत्या या हत्या के लिए उकसाना जैसे गंभीर अपराध में स्वयं के लिप्त होने के आरोप को निर्दोष सिद्ध करने का दबाव, बचाव पक्ष पर डालना वांछनीय नहीं है। ऐसा कदम न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ होगा। विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया कि जातीय परिषद् या खाप पंचायतों को स्वयं को समाज या समुदाय का संरक्षक मानकर अपने कानून थोपने तथा नैतिक पहरेदारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे समूह कानून हाथ में लेते हैं तो यह कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ दंडनीय भी होगा।
- अवैध सभा पर प्रतिबन्ध विधेयक, 2011 (वैवाहिक सम्बन्ध की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप) को इस उद्देश्य के साथ लाया गया कि प्रत्येक उस व्यक्ति को दंड दिया जाए जिसने विवाह के लिए इच्छुक लड़का या लड़की के परिजनों का सामाजिक रूप से बहिष्कार या उन्हें शारीरिक क्षति पहुँचाने का काम किया है। इस प्रकार की किसी सभा में भागीदारी अपराध में सहयोग करना या अपराध के लिए उकसाने के तौर पर भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय माना जाएग। विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति या समूह न तो इकट्ठा होगा, न सभा करेगा और न ही विधि सम्मत विवाह के ऊपर भाषण देने या उसकी निंदा करने के मकसद के साथ सम्मलेन करेगा। इस प्रकार की सभाओं के लिए छह महीने की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक में घृणा का माहौल बनाने वाले, पक्षों पर दबाव डालने वाले या उन्हें आपराधिक रूप से धमकाने वाले दोषी व्यक्ति या उनके परिजनों या समर्थकों को न्यूनतम एक साल का कारावास हो सकता है। इस विधेयक के तहत अधिकतम जुर्माना 30 हजार और अधिकतम सजा सात साल की कैद है। विशेष अदालतें राज्यों के उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य में गठित होंगी और इनका संचालन सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश करेंगें। तथ्यों के आधार पर शिकायत करने पर या पुलिस रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर विशेष अदालतों को ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने का भी आधिकार है जिसमें आरोपी व्यक्ति अदालत में पेश न हुआ हो।

वर्तमान परिदृश्य

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह 'ऑनर किलिंग' को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाने वाला एक कानून लाने जा रहा है जिससे कि तत्काल पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला तुरंत शुरू हो सके। केंद्र ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ को बताया कि प्रस्तावित विधेयक' पर 23 राज्यों ने अपने विचार भेजे हैं।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द अपने विचार भेजने के लिए कहा गया है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आने के कारण राज्यों से राय मांगी गई है। केंद्र ने हालांकि न्यायालय से कहा कि अभी इस कानून के लंबित होने के कारण वह पुलिस को उन युगलों के जिन्होंने अपने मन से शादी करने का निर्णय लिया है या जो शादी कर चुके हैं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए तत्काल निर्देश दे सकता है।

केंद्र ने कहा, पुलिस को ऐसे युगलों को सुरक्षा आवासों में रखकर या किसी अन्य तरीके से उनकी जान की रक्षा करनी होगी। केंद्र ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह ऐसे युगलों की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष सेल स्थापित करने का निर्देश दें।

ऑनर किलिंग के कारण

- **जटिल जाति व्यवस्था:** 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी भारत से जाति प्रथा समाप्त न हो सकी क्योंकि देश में जातिगत अवधारणाएँ और मजबूत हो रही हैं। ज्यादातर ऑनरकिलिंग के मामले उच्च व निम्न जाति के लोगों के प्रेम संबंधों के मामलों में देखी गयी हैं।
- **धर्म:** भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहां धार्मिकता की भावना काफी मजबूत है। जिस वजह से धार्मिक संबंध भी ऑनरकिलिंग का एक बड़ा कारण है।
- **खाप पंचायतों की मजबूत पकड़:** चूँकि खाप पंचायतें प्राचीन काल से ही समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जो आज भी देखने को मिलता है। राजनीतिक दल वोट बैंक के खातिर खाप पंचायतों के खिलाफ बोलने से कतराते हैं।
- **प्रशासनिक व्यवस्था की कमी:** ऑनर किलिंग के कारणों में औपचारिक शासन का ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाना है जिससे गांवों में निर्णयन की शक्ति अवैध एवं गैर-संवैधानिक संस्थाएं जैसे-खाप पंचायतों के हाथों में चली जाती है।
- **अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता:** शिक्षा के अभाव में समाज का बड़ा हिस्सा अपने संवैधानिक अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1), 19, 21 और 39 (च) में लोगों के अधिकारों का वर्णन किया गया है जिनमें अनुच्छेद 14, 15, 19 व 21 मूल अधिकारों से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक है।

आगे की राह

ऑनर किलिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध व असंवैधानिक करार दिया है जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया है और कुछ हद तक सफलता भी मिली है लेकिन अपेक्षा के अनुसार सुधार नहीं हो पाया है। गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर के द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 से 2016 के बीच ऑनर किलिंग के करीब 288 मामले दर्ज किए गये। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2014 से 2016 के बीच ऑनर किलिंग के करीब 288 मामले दर्ज किए गये। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2014 में 28, 2015 में 192 और 2016 में 88 मामले सामने आये। ऑनर किलिंग को रोकने के लिए आवश्यक सुझाव निम्न हैं-

- लगातार हो रही ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सबसे पहले जाति-व्यवस्था को समाप्त

करने की आवश्यकता है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी इसे रोकने का प्रयास करना होगा। भारत से जाति व्यवस्था तभी समाप्त होगी जब युवा वर्ग खुलकर जाति व्यवस्था का विरोध करेगा।

- किसी भी धर्म या मजहब में किसी की हत्या की मनाही है इसलिए अंतर-धार्मिक संबंधों को मान्यता देने की जरूरत है इससे एक सभ्य समाज का निर्माण होगा इसके लिए सभी धर्मों के उदार लोगों को सामने आना होगा।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाप पंचायतों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है तथा अब निर्णय को सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए इससे संबंधित कानून को जल्द से जल्द पारित करना चाहिए।
- ऑनर किलिंग को रोकने के लिए प्रशासन की जवाबदेही तय करनी होगी तथा ग्राम पंचायत को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि स्थानीय स्तर पर इसे रोका जा सके।
- लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए फिल्म, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया, जागरूकता अभियान आदि की सहायता ली जा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

7. उत्तर कोरिया और अमेरिका का छद्‌म युद्ध

चर्चा का कारण

पिछले कुछ महीनों से उत्तर कोरिया, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमले और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकियाँ दे रहा है। कोरिया के प्रमुख अखबार मिंजु जोसोन ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की सेना अमेरिका के खिलाफ कोई भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उसे केवल आदेश की प्रतीक्षा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भी यह कहा था कि यदि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ कुछ किया तो वे बाद में बहुत पछताएंगे। जानकारों का भी मानना है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के पहले से तनावपूर्ण संबंध और खराब हो गए हैं। वे यह भी मानते हैं कि कोई भी उकसाने वाली कार्यवाही दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकती है।

पृष्ठभूमि

अमेरिका और उतर कोरिया के खराब रिश्तों की नीव कोरियाई युद्ध से प्रारंभ होती है। कोरियाई युद्ध शीत युद्ध काल में लड़ा गया पहला महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ उत्तर कोरिया था जिसका समर्थन सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन कर रहे थे, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया था जिसकी रक्षा अमेरिका कर रहा था। युद्ध अन्त में बिना निर्णय के ही समाप्त हुआ किन्तु जन क्षति अत्यधिक होने से तनाव बहुत बढ़ गया था। कोरिया विवाद सम्भवत: संयुक्त राष्ट्र संघ के शक्ति-सामर्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण भी था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान शूमा ने इसे "सामूहिक सुरक्षा परीक्षण" की संज्ञा दी है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतिम दिनों में मित्र-राष्ट्रों में यह तय हुआ कि जापानी आत्म-समर्पण के बाद सोवियत सेना उत्तरी कोरिया के 38 वें अक्षांश तक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना इस लाइन के दक्षिण भाग की निगरानी करेगी। दोनों शक्तियों ने "अन्तरिम कोरियाई प्रजातांत्रिक सरकार" की स्थापना के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की। किन्तु 25 जून, 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इसी दिन सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अन्य सदस्यों से उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा दिया। सुरक्षा परिषद ने यह सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कोरियाई गणराज्य को आवश्यक सहायता प्रदान करें जिससे वह सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला कर सके तथा उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके। पहली बार 7 जुलाई, 1950 को अमरिकी जनरल मैकार्थर की कमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के झण्डे के नीचे संयुक्त कमान का निर्माण किया गया।

विदित है कि सोवियत संघ ने बाद में सुरक्षा परिषद् की कार्रवाई में भाग लेना आरंभ कर दिया और कोरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई रोकने के लिए "वीटो" का प्रयोग कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 3 नवम्बर, 1950 को महासभा ने "शांति के लिए एकता प्रस्ताव" पास कर अतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ले लिया। फलस्वरूप अमेरिकी और चीनी

सेनाएँ कोरियाई मामले को लेकर उलझ पड़ी। अंततः भारत तथा कुछ अन्य शांतिप्रिय राष्ट्रों की पहल के कारण 27 जुलाई, 1953 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम-सन्धि हुई। इस प्रकार कोरिया युद्ध को संयुक्त राष्ट्र संघ रोकने में सफल हुआ। वैसे उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में आपसी तनाव हमेसा जारी रहा।

क्या है मामला?

मिसाइल परीक्षणों, परमाणु कार्यक्रमों, आर्थिक प्रतिबंधों एवं धमकियों से परिपूर्ण उत्तर कोरिया संकट दिनोंदिन गहराता ही जा रहा है। संपूर्ण वैश्विक दबाव से बेपरवाह उत्तर कोरिया ने 3 सितंबर 2017 को अपना छठा परमाणु परीक्षण किया था। यह हाइड्रोजन बम था। जो परमाणु बम से कई गुणा ज्यादा खतरनाक है। वर्तमान स्थिति में कोरियाई संकट केवल कोरियाई प्रायद्वीप का संकट न रहकर वैश्विक संकट बन गया है। कोरियाई संकट ऐसी गुत्थी बनता जा रहा है, जिसे जितना सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस समय युद्ध की आशंका पिछले कुछ दशकों में सर्वाधिक है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास के शक्ति प्रदर्शन को उत्तर कोरिया ने परमाण ु परीक्षण कर जवाब दिया था। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनातनी लंबे समय से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से ऐसी आशंकाएँ गहन हो गयी हैं कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग भी संभव है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद जब अमेरिका को धमकी दी, तो ट्रंप ने भी उत्तर कोरिया को भस्म करने की धमकी दी। इसके प्रत्युत्तर में उत्तर कोरिया ने अमरीकी द्वीप 'गुआम' पर हमले की तैयारी कर ली।

उत्तर कोरिया क्यों करना चाहता है गुआम पर हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद उत्तर कोरिया ने गुआम पर मिसाइल से हमले की धमकी दे डाली। उत्तर कोरिया का कहना है कि वह अमेरिकी पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप गुआम में मिसाइल हमले पर विचार कर रहा है। गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप है। करीब पौने 2 लाख की आबादी वाले इस द्वीप में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी है। उत्तर कोरियाई सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि किम जोंग उन का आदेश मिलते ही अमरीकी द्वीप पर हमला कर दिया जाएगा। इसमें उत्तर कोरिया में ही बनी मिसाइल ह्वावासोंग-12 का प्रयोग किया जा सकता है। भारत से करीब 7 हजार किमी दूर अमरिकी द्वीप गुआम उत्तर कोरिया के निशाने पर आने के बाद संपूर्ण विश्व में चर्चा में है। अमेरिका से गुआम की दूरी करीब 11 हजार किमी है, जबकि उत्तर कोरिया से दूरी 3430 किमी है। इस प्रकार गुआम उत्तर कोरिया की पूर्णतः पहुँच में है। यह द्वीप 541 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है तथा अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पौने दो लाख आबादी वाले इस द्वीप के 29% हिस्से का प्रयोग अमेरिकी सेना करती है। यहाँ एंडरसन एयरफोर्स बेस और नौसैन्य बेस है। यहाँ बी-1, बी-2 और बी-5 बमवर्षक विमानों का जखीरा भी है। 1989 में स्पेन से युद्ध के बाद अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा किया था। यहां के लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन वे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अभी यहाँ 6 हजार सैनिक तैनात हैं, जिसकी संख्या में अमेरिका और भी वृद्धि करना चाह रहा है।इस द्वीप की मदद से अमेरिकी पहुँच दक्षिण चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक है। गुआम ऐसी जगह पर है, जहाँ से दक्षिण चीन सागर में चीनी वर्चस्व पर अमेरिका महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। इस तरह गुआम पर हमले की धमकी देकर उत्तर कोरिया एक तीर से कई शिकार कर रहा है।

उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध

विश्व समुदाय के दबाव की लगातार अवहेलना कर उत्तर कोरिया जिस तरह लंबी दूरी के महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, उसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा कठोर प्रतिबंध आरोपित करा दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध पूर्ण सहमति से लगा। इस प्रतिबंध पर न तो रूस और न ही चीन ने वीटो का प्रयोग किया। लंबे अरसे बाद इसे ट्रंप की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है। ट्रंप ने लंबे समय तक चीन से वार्ता करने के बाद यह सहमति प्राप्त की है।

ज्ञात हो कि चीन और रूस ही उत्तर कोरिया के सबसे बड़े व्यापार साझीदार हैं। उत्तर कोरिया का 89% व्यापार चीन के साथ है, जबकि रूस द्वितीय सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। ऐसे में चीन और रूस के बिना पूर्ण सहयोग के उत्तर कोरिया पर कोई भी प्रतिबंध अधूरा होता। ये नए प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर कोरिया पर वर्ष 2006 में पहली बार परमाणु परीक्षण करने के बाद से लेकर अब तक 7वीं बार लगाए जाने वाले प्रतिबंध होंगे। नए प्रतिबंध के अंतर्गत उत्तर कोरिया के जो जहाज संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें सभी बंदरगाहों में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाएगा। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह उत्तर कोरिया ने 28 अगस्त को मिसाइल परीक्षण तथा 4 सितंबर, 2017 को परमाणु परीक्षण किया है, उससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रतिबंध बिल्कुल प्रभावहीन दिख रहे हैं और अब सभी देशों को लगता है की उतर कोरिया एक बेलगाम देश होता जा रहा है

कोरियाई प्रायद्वीप संकट पर विभिन्न देशों का नजरिया

उत्तर कोरिया के परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम के विकास में चीन तथा रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन और रूस ने आर्थिक प्रतिबंधों पर भले ही अपनी सर्वसहमति जता दी है, परंतु वास्तव में स्थिति इतनी सरल नहीं है। उत्तर कोरिया के तेवर से स्पष्ट है कि चीन और रूस दोनों देशों का आंतरिक समर्थन उत्तर कोरिया को प्राप्त है। 'गुआम' पर ही उत्तर कोरिया के हमले की धमकी के पीछे चीनी रणनीतिकारों के खड़े रहने की मंशा स्पष्ट रूप से दिख रही है। चीन अभी 'डोकलाम' मामले पर भारत से दबाव में है, वहीं दक्षिण चीन सागर में बार-बार चीनी वर्चस्व को अमेरिकी चुनौती मिल रही है और अमेरिका द्वारा दक्षिण चीन सागर में चुनौती देने में 'गुआम' द्वीप का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह चीन उत्तर कोरिया की धमकी द्वारा अमेरिका को 'गुआम' में उलझाकर रखना चाहता है। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के कारण संकट खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है।

पहले उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था लेकिन हाल ही में जापानी सरकार के श्वेतपत्र में उत्तर कोरिया के पास छोटे परमाणु हथियारों की पुष्टि हुई है। जापानी श्वेतपत्र के अनुसार उत्तर कोरिया इन्हें लंबी दूरी की मिसाइलों में फिट कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया के साथ सदैव वार्ता कर मामले को निपटाने की बात कही तथा प्रयास भी किया। परंतु ट्रंप के अड़ियल रवैये तथा चीन के उकसावे पूर्ण नीति ने संपूर्ण कोरियाई प्रायद्वीप को तनाव के उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया है, जहाँ परमाणु हमला भी संभव है। विश्व बिरादरी में पूरी तरह से अलग-थलग पड़ चुके उत्तर कोरिया के नेताओं को लगता है कि परमाणु ताकत ही वह दीवार है जो उन्हें बर्बाद करने पर तुली दुनिया से, बचा सकती है।

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया से युद्ध हर हाल में टालने की बात की है। मून के अनुसार चाहे कितना भी उतार-चढ़ाव आए, हम मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। मानवता की रक्षा के लिए विश्व समुदाय को जहाँ दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया से वार्ता के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान करना चाहिए, वहीं महाशक्तियों विशेषकर अमेरिका, चीन रूस को इस संपूर्ण मामले में सहृदय सहयोग देना चाहिए। इस मामले के सैन्य समाधान से संपूर्ण विश्व परमाणु युद्ध की चपेट में आ सकता है इसलिए आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक वार्ता पर जोर ही एकमात्र समाधान है। सच तो यही है कि उत्तर कोरियाई हाइड्रोजन बम परीक्षण से परमाणु निशस्त्रीकरण को भी गंभीर झटका लगा है। इस संपूर्ण प्रकरण में महाशक्तियों के निहित स्वार्थों से संपूर्ण मानवता के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर अमेरिका, द. कोरिया और जापान की बैठक

हाल ही में उत्तर कोरिया तथा 'कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को समाप्त करने' के मुद्दे पर अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकारों ने चर्चा की थी प्योंगयांग की यात्रा करने वाले दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अप्रैल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि किम ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा और ट्रंप मई के अंत तक वार्ता के लिए तैयार हो गए। इस घटनाक्रम से उत्तर कोरिया के परमाणु संकट में गतिरोध खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं लेकिन कई विशेषज्ञों ने कहा कि अगर शिखर वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई तो दुश्मनी की भावना फिर से बढ़ जाएगी और परमाणु मुद्दे के हल के लिए चुनिंदा कूटनीतिक विकल्प ही बचेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि उत्तर कोरिया त्रिपक्षीय सहयोग बरकरार रखने पर सहमत हुआ और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि पहले की गलतियों को दोहराया ना जाए। आलोचना इस बात को लेकर थी कि उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बातचीत का इस्तेमाल बाहरी दबाव को कम करने और सहायता प्राप्त करने के रूप में किया है।

किम जोंग-उन की चीन यात्रा का मकसद

देश की सत्ता संभालने के सात साल बाद पहली बार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन अपनी दो दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। वहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिंनपिंग के साथ लंबी बातचीत की।

इस यात्रा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह की चीनी राष्ट्रपति से यह मुलाकात तब हुई है कि जब अप्रैल में किम जोंग-उन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जो-इन से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके बाद मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। यही कारण है कि किम की अचानक हुई चीनी यात्रा ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, चीन सहित दुनिया भर के जानकार इस यात्रा को चीन और उत्तर कोरिया दोनों की ही जरूरत बता रहे हैं। कोरियाई युद्ध से लेकर अब तक चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी उत्तर कोरिया का साथ नहीं छोड़ा। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और आर्थिक सहयोगी है। इसके अलावा चीन एकमात्र ऐसा देश है जो प्योंगयांग का प्रमुख सैन्य सहयोगी भी है। हाल में भी डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बावजूद चीन ने पूरी तरह से उत्तर कोरिया जाने वाली व्यापारिक मदद बंद नहीं की। कोरियाई मामलों पर नजर रखने वाले अमेरिकी पत्रकार जेम्स ग्रिफ्टस ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसके बाद भी अगर किम जोंग-उन चीन को नजरअंदाज करके अमेरिका से बातचीत करने जाते हैं तो इससे उन्हें चीन की नाराजगी झेलनी पड़ सकती थी। उन्हें यह भी पता है कि चीन हर मौके पर उनका ही पक्ष लेता रहा है, ऐसे में अमेरिका के साथ बातचीत में चीन की भूमिका उत्तर कोरिया के लिए मददगार ही साबित होगी।

निष्कर्ष

कोरियाई प्रायद्वीप संकट के सभी हितधारक देशों को आपसी सहमती बनाते हुए कोरियाई संकट को हल करना होगा। हालांकि भारत कोरियाई संकट के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं रखता है पर भारत इसको नजर अंदाज नहीं कर सकता है। कही न कही भारत के हित भी इस मुद्दे में प्रभवित होंगे अतः भारत को भी इसमें शांति दूत बनकर आगे आना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है। यह विवादों के समाधान में किस प्रकार सहायक होगा, रेखांकित करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2015
- इसकी आवश्यकता क्यों?
- इस कानून की प्रमुख विशेषताएँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है।
- यह विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

- मध्यस्थता प्रक्रिया को सहज बनाने, लागत सक्षम बनाने और मामले के शीघ्र निष्पादन और मध्यस्थता करने वाले की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया।

मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2015

- मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत मामलों के त्वरित प्रवर्तन, मौद्रिक दावों की सुलभ वसूली, अदालतों में लंबित रहने की अवधि में कटौती लाने, पंचाट के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा देश में विदेशी निवेशकों को कारोबार करने हेतु एक सुलभ वातावरण सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।

इसकी आवश्यकता क्यों?

- केन्द्र सरकार द्वारा पंचाट तंत्रों के संदर्भ में विधायी एवं प्रशासनिक पहल आरंभ की जा रही है, जिनका उद्देश्य अदालतों के हस्तक्षेप में कमी लाना, केस की सुनवाई की प्रक्रिया में कमी लाना, मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक समय-सीमा सुनिश्चित करना तथा पंचाट की तटस्थता सुनिश्चित करना है।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

आगे की राह

भारत में दिनोदिन अदालतों के समक्ष कानूनी मामलों की बढ़ती तादाद के चलते लंबित मामलों की संख्या में काफी इजाफा होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अदालतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने में सरकार द्वारा स्वीकृत यह विधेयक काफी सहायक होगा। ■

भारत में 'विद्युत वाहन' एक नई पहल

प्र. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) ने मार्च 2019 तक 20,000 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) खरीद को मंजूरी दे दी है। ईवी के लाभों को दर्शाते हुए सरकारी पहल की चर्चा करें साथ ही ईवी को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है इलेक्ट्रॉनिक वाहन?
- वर्तमान परिदृश्य
- इलेक्ट्रॉनिक वाहन से लाभ
- चुनौतियाँ
- सरकारी पहल
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) कंपनी ने मार्च 2019 तक सरकारी इस्तेमाल के लिए करीब 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को खरीदने जा रही है।
- ''एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संयुक्त उद्यम ईईएसएल ने पिछले साल 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निविदा जारी की थी। इसका मकसद सरकारी वाहनों को ईवी में तब्दील करना है।

क्या है इलेक्ट्रॉनिक वाहन?

- इलेक्ट्रॉनिक वाहन ऐसी वाहन होती है जो बैटरी से चलती है जिसमें इंजन नहीं बल्कि मोटर लगी होती है।
- दूसरे शब्दों में ईवी में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। इसमें बैटरी सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से ईंधन इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। ये वाहन साइकिल, बाइक, कार, बस या ट्रेन कुछ भी हो सकता है।

वर्तमान परिदृश्य

- सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों पर जोर दिये जाने के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआती बिक्री में गुजरात पहले स्थान पर है।
- वित्त वर्ष 2016-17 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिहाज से गुजरात के बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र का नंबर आता है।
- इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता परिषद (एसएमईवी) के एक अध्ययन के अनुसार 2016-17 में महाराष्ट्र में 1926 इकाई, राजस्थान में 2,388 ईकाई, उत्तर प्रदेश में 2,467 व पश्चिम बंगाल में 2846 ईवी बिके।
- **विश्वः** कैलिफोर्निया में ईवी के लिए गैर-राजकोषीय अनुदान भी दिया जाता है। चीन अपने यहां अनुदान, कर छूट और चार्जिंग सुविधाओं सहित कई उदार प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है।
- **ईवी (Electric Vehicle) के लाभः** ईवी के माध्यम से देश में 2030 तक डिजल और पेट्रोल की लागत के रूप में 60 अरब डॉलर बचाये जा सकते हैं। तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, परम्परागत स्रोतों की बचत, कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निजात, प्रदूषण से मुक्ति आदि की चर्चा करें।

चुनौतियाँ

- रिचार्ज स्टेशनों की कमी, लम्बी दूरी तय करने में दिक्कत, री-सेल वैल्यु का कम होना, महंगी बैटरी, भारत में ईवी से संबंधित स्पष्ट नीति का अभाव, अधिक निवेश की आवश्यकता, ईवी का महँगा होना, बुनियादी सुविधाओं की कमी, बिजली का उत्पादन कोयला आधारित होना आदि को दर्शाएँ।

सरकारी पहल

- सरकार ने 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन' प्लान 2020 (NEMP) नामक योजना की शुरूआत की है।
- केन्द्र सरकार ने फेम (FAME) {Faster Adoption and Manufacturing of EV} योजना भी शुरू की है।
- नीति आयोग ने दिल्ली में 135 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव आईटी सलूशन कंपनी को दिया है।

आगे की राह

ईवी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए, बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता, ईवी के रीसेल वैल्यू को बढ़ाने, स्पष्ट नीति की आवश्यकता, राज्यों की सहभागिता जरूरी आदि का वर्णन करें। ■

प्राथमिक शिक्षा में नई एकीकृत शिक्षा नीति के मायने

प्र. भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु नई एकीकृत शिक्षा योजना के उद्देश्यों और लाभों की चर्चा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- नई एकीकृत शिक्षा योजना
- प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ
- सर्वशिक्षा अभियान
- प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु सरकारी पहल
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई एकीकृत शिक्षा योजना

- सरकार द्वारा लाई गई नई एकीकृत शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा में समावेशीकरण को बढ़ाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराना है। नई एकीकृत शिक्षा योजना से होने वाले लाभों के अंतर्गत इसमें कस्तूरबा बालिका विद्यालयों का उन्नयन स्कूल में कौशल विकास पर जोर आदि शामिल हैं।

प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ

- भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। फिर भी प्राथमिक शिक्षा में कई खामियाँ हैं। जैसे- बजट के आवंटन में कमी, शिक्षकों की संख्या में कमी इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य आधारभूत संरचना का अभाव आदि चुनौतियाँ हैं। प्राथमिक शिक्षा पर अभी हाल ही में 'असर' ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाई है।

सर्व शिक्षा अभियान

- सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम हैं इसके अंतर्गत 8 मुख्य कार्यक्रम जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु सरकारी पहल

- वर्तमान सरकार ने शिक्षा के सुधार हेतु अभी हाल ही में एक नई एकीकृत शिक्षा नीति को लागू किया। इसके अलावा सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु इस वर्ष के बजट में भी बहुत सी योजनाओं को लागू किया और इस वर्ष शिक्षा के सुधार हेतु बजट आवंटन मात्रा को भी बढ़ाया है।

निष्कर्ष

- प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश की नींव मानी जाती है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अत: शिक्षा में सुधार हेतु सरकार को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ■

मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018

प्र. हाल ही में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक मानव अधिकारों को संरक्षित करने में कहाँ तक सफल होगा? संविधान में वर्णित मानवाधिकार आयोग की चर्चा करते हुए संरक्षण विधेयक 2018 की विशेषताओं को बताएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- मानव अधिकार क्या है?
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- संविधान में मानव अधिकार कानून
- मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 की विशेषताएं
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्द्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- इस विधेयक में आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव है।

मानव अधिकार क्या है?

- मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समाधान एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं।
- इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने से संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है।

पृष्ठभूमि

- प्राचीन काल से ही भारत में लोगों के सम्मानपूर्वक यथोचित जीवन की सुरक्षा हेतु कुछ मानवाधिकार कानून एवं मूल्यों की उपस्थिति रही है। मानवाधिकार के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की दिशा में संविधान निर्माताओं ने ना सिर्फ लोगों के मानवाधिकारों के दावों की विशेष व्यवस्था की बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपबन्ध कर राज्यों पर भी कुछ दायित्व डाले।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत में मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व कुछ कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अधिकरणों के कंधों पर है।
- 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बाद मानवाधिकार प्रशासन के क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात हुआ जिससे देश में मानव अधिकार के संबंध में क्रांतिकारी बदलाव आया है।
- वर्तमान में 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं।

मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 की विशेषताएँ

- विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- विधेयक में केन्द्र शासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
- विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है। ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।

आगे की राह

- मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में अधिक गति व पारदर्शिता आएगी जिससे कि मानव अधिकारों का पोषण किया जा सकेगा। इसके साथ ही देश के सभी राज्यों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के निर्देशों के पालन का दबाव बनेगा जिससे कि सभी राज्यों में इस तरह की संस्था का विकास होगा। इस संशोधन विधेयक से राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 1993 के प्रावधानों में कई सुधार संभव हो सकेगा। ■

चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ने से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

प्र. शी जिनपिंग की कार्यकाल वृद्धि का भारत-चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा विश्लेषण करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- कार्यकाल वृद्धि से भारत पर प्रभाव
- भारत चीन संबंधों में आगे की राह
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन की संसद ने 11 मार्च 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक चेयरमैन माओत्सेतुंग के बाद आजीवन सत्ता में बने रहने वाले पहले चीनी नेता होंगे।

पृष्ठभूमि

- पुराने कानून के मुताबिक चीन में किसी व्यक्ति को लगातार दो बार ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता था।

- चीन में राष्ट्रपति डेंग जाओपिंग ने 1982 में एक विधेयक पेश किया था इसके तहत अगला कोई भी राष्ट्रपति दो बार से ज्यादा इस पद पर नहीं रह सकता था।

कार्यकाल वृद्धि से भारत पर प्रभाव

- शी जिनपिंग का कार्यकाल असीमित करने पर दुनिया भर में खासकर पड़ोसी देशों में चिंता पैदा हुई है। BRI में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी शामिल है जिसका विरोध भारत करता है। कार्यकाल वृद्धि से अनुमान लगाया जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति इस योजना को और गति प्रदान करेंगे।
- शी जिनपिंग के असीमित कार्यकाल का मतलब है वह साल 2023 के बाद तक चीन की सेना पर नियंत्रण रखेंगे और ज्ञातव्य है कि भारत और चीन के मध्य कई सीमा विवाद हैं और इस वजह से सैन्य कार्यवाही होती रहती है। उदाहरण डोकलाम।

आगे की राह

- चीनी विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त चाइना इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के वाइस प्रेसिडेंट रॉन्ग यिंग कहते हैं कि दोनों देशों को विश्वास की कमी को दूर करने की जरूरत है। लंबे कार्यकाल से डरने की कोई जरूरत नहीं बस दोनों देशों को डोकलाम विवाद से सही सबक लेने की जरूरत है।

निष्कर्ष

- भारत और चीन को अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। उन्हे आपसी हितों को पहचाना होगा। ■

ऑनर किलिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

प्र. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो वयस्कों के विवाह में खाप पंचायतों के हस्तक्षेप को गैर कानूनी करार दिया है, इसके क्या निहितार्थ है? ऑनर किलिंग की समस्या से निपटने के लिए सरकारी पहल की चर्चा करते हुए इसे रोकने के लिए और कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ऑनर किलिंग क्या है?
- पृष्ठभूमि
- क्या है कानूनी प्रावधान?
- वर्तमान परिदृश्य
- ऑनर किलिंग के कारण
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- ऑनर किलिंग के मसले पर उच्चतम न्यायालय ने स्वेच्छा से अंतर-जातीय विवाह करने वाले दो वयस्कों के मामले में खाप पंचायत जैसे समूहों के दखल को पूरी तरह गैर कानूनी करार देते हुए इन पर पाबंदी लगा दी।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्त्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं और कहा है कि इस संबंध में संसद से कानून बनने तक ये प्रभावी रहेंगे।

ऑनर किलिंग क्या है?

- ऑनर किलिंग से तात्पर्य ऐसी हत्या से है जिसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार, वंश या समुदाय के सदस्यों द्वारा पारिवारिक सम्मान के लिए की जाती है ऑनर किलिंग कहलाता है।

पृष्ठभूमि

- खाप पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। ये पंचायतें पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और राजस्थान के तमाम इलाकों में 6वीं-7वीं शताब्दी से देखी जा सकती हैं।
- खाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के कई राज्यों में स्थापित है। खाप दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द हैं ख और आप इसमें ख का मतलब है आकाश और आप का मतलब है पानी।

क्या है कानूनी प्रावधान?

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जून 2010 को देश में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर केन्द्र सरकार और नौ राज्यों को नोटिस जारी किया।
- वर्ष 2011 में न्यायमूर्ति पी.बी.रेड्डी की अध्यक्षता में गठित आयोग ने देश में ऑनर किलिंग को रोकने के उद्देश्य से विधेयक का प्रारूप पेश किया।
- आयोग ने सिफारिश की कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह करने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है।

वर्तमान परिदृश्य

- केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह ऑनर किलिंग को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाने वाला एक कानून लाने जा रही है।
- केन्द्र ने कहा पुलिस को ऐसे युगलों को सुरक्षा आवासों में रखकर या किसी अन्य तरीके से उनकी जान की रक्षा करनी होगी।

ऑनर किलिंग के कारण

- जटिल जाति व्यवस्था, धर्म, खाप पंचायतों की मजबूत पकड़, प्रशासनिक व्यवस्था की कमी, अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता आदि की चर्चा करें।

आगे की राह

- ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सबसे पहले जाति व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। अंतर-धार्मिक संबंधों की मान्यता, सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए इससे संबंधित कानून को जल्द से जल्द पारित करना चाहिए। प्रशासन की जबावदेही तय की जानी चाहिए, लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता है। ■

उत्तर कोरिया और अमेरिका का छद्म युद्ध

प्र. हाल ही में उत्तर कोरिया और अमेरिका के मध्य चल रहे मौखिक युद्ध में उत्तर कोरिया से संबंधित सभी हितधारक देशों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- क्या है मामला?
- उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के कठोर प्रतिबंध
- कोरियाई प्रायद्वीप संकट पर विभिन्न देशों का नजरिया।
- किम जोंग उन की चीन यात्रा का मकसद
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- पिछले कुछ महीनों से उत्तर कोरिया, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमले और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहते की धमकियाँ दे रहा हैं वहीं अमेरिका भी कोरिया को इसी तरह की धमकियाँ दे रहा है। इन सब घटनाओं में सभी देश अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका और उत्तर कोरिया के खराब रिश्तों की नींव कोरियाई युद्ध से प्रारंभ होती है जिसमें उत्तर कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था।
- कोरियाई युद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से शांत हुआ लेकिन तभी से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कुछ न कुछ तनाव जारी रहा है जो आज सभी देशों के लिए कूटनीतिक क्षेत्र बन गया है।

क्या है मामला?

- उत्तर कोरिया ने 3 सितंबर 2017 को अपना छठा परमाणु परीक्षण किया था, यह हाइड्रोजन बम था। जबकि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा परीक्षण पर पूर्णत: प्रतिबंध था। अत: यही उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम और इसका अक्खड़ रवैया कोरिया संकट बन कर उभरा है।

उत्तर कोरिया पर सयुंक्त राष्ट्र के प्रतिबंध

- उत्तर कोरिया जिस तरह लंबी दूरी के महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है इसके प्रतिउत्तर में अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा कठोर प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं।

कोरियाई प्रायद्वीपीय संकट पर भिन्न देशों का नजरिया

- उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को सभी देश संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। उत्तर कोरिया में चीन और रूस अपनी कूटनीतिक चालों से उसके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। जबकि जापान अमेरिका और दक्षिण कोरिया एक अलग पक्ष रखते हैं।

किम जोंग उन की चीन यात्रा का मतलब

- हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह दो दिन की यात्रा पर चीन गए थे। ज्ञात हो कि कोरियाई युद्ध के पश्चात से ही चीन ने उत्तर कोरिया का साथ नहीं छोड़ा है और चीन उत्तर कोरिया के व्यापारिक सहयोगी भी है।

निष्कर्ष

- कुछ भी हो कोरियाई संकट पर सभी देशों को मिलकर एक शांतिपूर्ण हल निकालने के बारे में सोचना होगा। ■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. जुलियस माडा बिओ सियरा लियोन के नए राष्ट्रपति निर्वाचित

सियरा लियोन के विपक्षी उम्मीदवार जुलियस माडा बिओ पश्चिमी अफ्रीकी देश सियरा लियोन के नए राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने 04 अप्रैल 2018 को बिओ के निर्वाचन की घोषणा की। गत 31 मार्च को हुए चुनाव में सियरा लिओन पीपुल्स पार्टी के बिओ को 51.81 प्रतिशत वोट हासिल हुए उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और सत्तारुढ़ ऑल पीपुल्स कांग्रेस के उम्मीदवार सामुरा कामरा को हराकर यह जीत हासिल की जिन्हें 48.19 प्रतिशत वोट हासिल हुए। वर्ष 1996 में कुछ समय के लिए सत्ता संभालने वाले बिओ निवर्तमान राष्ट्रपति एर्नेस्ट बाई कोरोमा का स्थान लेंगे। कोरोमा समय-सीमा निर्धारित होने के कारण फिर से चुनाव नहीं लड़ सके। मुख्य न्यायाधीश अब्दुलाई हामिद चार्म ने इस घोषणा के बाद रायटर से कहा कि नए राष्ट्रपति जल्द ही शपथ ग्रहण करेंगे।

जुलियस माडा बिओ के बारे में

जुलियस माडा का जन्म 12 मई 1964 को हुआ था। वे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। वे 16 जनवरी 1996 से 29 मार्च 1996 तक सिएरा लियोन के मिलिट्री प्रमुख रहे। उन्होंने सियरा लियोन में मिलिट्री शासन की अगुवाई की थी। उन्होंने इस कारवाई को सियरा लियोन में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उचित कदम बताया था। सेना से रिटायरमेंट के बाद वे अमेरिका चले गये थे। जहाँ उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स में स्नातकोत्तर डिग्री

हासिल की। वे राजनीति में सक्रिय रूप में उतरने से पूर्व अमेरिकी फर्म इंटरनेशनल सिस्टम्स साइंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद वे वर्ष 2005 में सियरा लियोन पीपुल्स पार्टी के सदस्य बने। इसी वर्ष उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। ■

2. विश्व स्वास्थ्य दिवस

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 पूरे विश्व भर में 7 अप्रैल को मनाया गया।

थीम:

वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: एवरीवन, एवरीव्हेयर है।

- इसके तहत विश्व भर के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने का उद्देश्य है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व की ओर बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में हर वर्ष 7 अप्रैल को पूरे विश्व भर में लोगों के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डबल्यूएचओ के द्वारा जेनेवा में वर्ष 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा रखी गयी जहाँ 7 अप्रैल को वार्षिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिये फैसला किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रुप में वर्ष 1950 में पूरे विश्व में इसे पहली बार मनाया गया था। डबल्यूएचओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के खास विषय पर आधारित कार्यक्रम इसमें आयोजित होते हैं।

स्वास्थ्य के मुद्दे और समस्या की ओर आम जनता की जागरुकता बढ़ाने के लिये वर्षों से मनाया जा रहा ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। पूरे साल भर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिये और उत्सव को चलाने के लिये एक खास विषय का चुनाव किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ष 1995 के खास विषयों में से एक था वैश्विक पोलियो उन्मूलन। तब से, इस घातक बीमारी से ज्यादातर देश मुक्त हो चुके हैं जबकि दुनिया के दूसरे देशों में इसकी जागरुकता का स्तर बढ़ा है।

वैश्विक आधार पर स्वास्थ्य से जुड़े सभी मुद्दे को विश्व स्वास्थ्य दिवस लक्ष्य बनाता है जिसके लिये विभिन्न जगहों जैसे स्कूल, कॉलेजों और दूसरे भीड़ वाले जगहों पर दूसरे संबंधित स्वास्थ्य संगठनों और डबल्यूएचओ के द्वारा सालाना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विश्व में मुख्य स्वास्थ्य मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान दिलाने के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को स्मरण करने के लिये इसे मनाया जाता है। वैश्विक आधार पर स्वास्थ्य मुद्दों को बताने के लिये यूएन के तहत काम करने वाली डबल्यूएचओ एक बड़ी स्वास्थ्य संगठन है। विभिन्न विकसित देशों से अपने स्थापना के समय से इसने कुष्ठरोग, टीबी, पोलियो, चेचक और छोटी माता आदि सहित कई गंभीर स्वास्थ्य मुद्दे को उठाया है। एक स्वस्थ विश्व बनाने के लक्ष्य के लिये इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में इसके पास सभी आँकड़े मौजूद हैं। ■

3. हबल दूरबीन ने सबसे पुराने तारों के समूह की सटीक दूरी मापी

वैज्ञानिकों ने नासा की हबल अंतरिक्ष दूरबीन का इस्तेमाल कर पहली बार ब्रह्मांड में सबसे पुराने तारों के समूह में से एक की दूरी सटीकता से मापी है। 13.4 अरब वर्ष पुराना तारों का यह समूह बिग बैंग घटना के तुरंत बाद बना था। तारों के समूह की सटीक दूरी का पता चलने से ब्रह्मांड की उम्र का अंदाजा हो सकता है। इससे खगोल वैज्ञानिकों को तारों के क्रमिक विकास के प्रारूपों में सुधार करने में मदद मिलेगी। तारों के समूह तारकीय प्रारूपों में अहम घटक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समूह में तारे एक समान दूरी पर होते हैं, एक जैसी उम्र के और उनकी एक समान रसायनिक संरचना होती है। तारों का यह समूह पृथ्वी के सबसे करीब समूहों में से एक है। नई माप के अनुसार तारों का यह समूह 7,800 प्रकाश वर्ष दूर है। हबल अध्ययन का नेतृत्व करने वाले अमेरिका के स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के टॉम ब्राउन ने कहा, गोलाकार समूह बहुत पुराने हैं, इनकी उम्र ब्रह्मांड की उम्र से भी अधिक लगती है।

हबल अंतरिक्ष दूरबीन

- हबल अंतरिक्ष दूरबीन वास्तव में एक खगोलीय दूरबीन है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में उपस्थित है।
- हबल अंतरिक्ष दूरबीन 25 अप्रैल 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कबरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था।
- अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पोंवेल हबल के नाम पर इसे 'हबल' नाम दिया गया। यह नासा की प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। ■

4. तुर्की ने पहले परमाणु संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ किया

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 अप्रैल 2018 को तुर्की के पहले परमाण ु संयंत्र के निर्माण कार्य को आरंभ किया। इसे अक्कुयु न्यूक्लियर पावर प्लांट (एनपीपी) के नाम से जाना जायेगा जो मर्सिन प्रांत में मौजूद है। इस लॉन्च कार्यक्रम को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया। इस उर्जा संयंत्र की कुल लागत 20 बिलियन डॉलर आंकी गई है।

तुर्की परमाणु उर्जा संयंत्र की मुख्य विशेषताएं

- एनपीपी रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसातोम द्वारा बनाया जाएगा और प्रत्येक चार यूनिट 1,200 मेगावाट (मेगावाट) की क्षमता की होगी।
- लगभग 20 अरब डॉलर की कुल निवेश लागत वाला यह संयंत्र प्रतिवर्ष 8,000 घंटे का ऊर्जा उत्पादन करेगा।
- निर्माण के पहले चरण में, 2,400 मेगावाट की क्षमता वाली दो इकाइयों की योजना बनाई गई है।
- प्रारंभिक मूल्यांकन के मुताबिक, प्लांट्स के निर्माण का 35-40 प्रतिशत हिस्सा तुर्की कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जो संभावित रूप से अर्थव्यवस्था को लगभग 6 से 8 अरब डॉलर तक बढ़ा सकते हैं।
- संयंत्र में 2023 तक पहले रिएक्टर के लिए एक परिचालन तिथि निर्धारित की गई है, जबकि संयंत्र को 2025 तक पूर्ण क्षमता पर चलने की उम्मीद है।

तुर्की और रूस संबंध

- तुर्की और रूस के मध्य गहरे संबंध रहे हैं तथा दोनों देशों ने 20वीं सदी की शुरुआत तक विभिन्न युद्ध झेले हैं।
- इन दोनों देशों के मध्य संबंधों में उस समय कड़वाहट आ गई जब जोसफ स्टालिन ने सत्ता संभाली तथा सोवियत बेस को तुर्की में ले जाने की मांग करने लगे।
- तुर्की द्वारा नाटो ज्वाइन करने तथा अमेरिका से हाथ मिलाने के बाद दोनों देशों में लम्बे समय तक शीत युद्ध चलता रहा।
- तुर्की उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के वॉरसॉ समझौते को नकार दिया।
- वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद तुर्की और रूस के संबंधों में इजाफा देखने को मिला। दोनों देश एक दूसरे के लिए सबसे बड़े निर्यातक देश बन गये।
- नवम्बर 2015 में तुर्की सेना के एफ-16 विमान द्वारा रूस के एसयू-24 विमान को मार गिराया गया जिससे दोनों देशों के मध्य एक बार फिर तनाव उत्पन्न हो गया।

इतना होने के बावजूद तुर्की और रूस ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रखा। ■

5. भारत और बांग्लादेश के बीच 130 किमी ऑयल पाइपलाइन समेत 6 समझौते पर सहमति

भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में 130 किमी ऑयल पाइप लाइन पर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इंडियन ऑयल हर साल बांग्लादेश को 1 मिलियन टन ऑयल उपलब्ध करवाएगा। इस डील के साथ नई दिल्ली और ढाका के बीच छह अन्य सहमति पत्रों पर भी समझौता हुआ है। इन समझौतों के लिए भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखले को ढाका पहुंच कर सीनियर बांग्लादेशी अधिकारियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीयों मुद्दों पर चर्चा की। भारत और बांग्लादेश के बीच छह सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर में असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पार्वतीपुर के बीच मैत्री पाइपलाइन बनाने के लिए एमओयू शामिल है। इसके अलावा प्रसार भारती और बांग्लादेश में बेतार के बीच आपसी सहयोग, ढाका यूनिवर्सिटी में आईसीसीआर उर्दू चेयर की स्थापना, जीसीएनईपी–बीएईसी इंटर एजेंसी एग्रीमेंट और बांग्लादेश के 500 स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के विदेश सचिव ने कहा कि बांग्लादेश में शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसे कार्यों के प्रयास का हिस्सा है, जिसके लिए भारत 6,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। विदेश सचिव गोखले ने याद दिलाते हुए कहा कि बागंलादेश का भारत एक प्रतिबद्ध विकास सहयोगी है। उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों में बांग्लादेश 8 अरब डॉलर के ऋण का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में बांग्लादेश सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश को उपलब्ध करवाई जाने वाली ऊर्जा और पावर सेक्टर के बारे में गोखले ने कहा कि अब तक बांग्लादेश को 660 MW पावर सप्लाई हो रही है, लेकिन जून में 500 MW अतिरिक्त पावर दिया जाएगा। गोखले भारत लौटने से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। ■

6. साइबर हमलो के मामले में भारत तीसरा सबसे अधिक संवेदनशील देश

सुरक्षा समाधान प्रदाता सिमेंटेक की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइबर खतरों के जोखिम जैसे कि मैलेवयर, स्पैम और रैनसमवेयर से पिटने के मामले में, वर्ष 2017 में भारत तीसरे सबसे कमजोर देश के रूप में उभरा है।

प्रमुख तथ्य

- वर्ष 2017 में 5.90% वैश्विक खतरे भारत में पाए थे। वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 5.11% था।
- इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका (26.61%) इस तरह के हमलों के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील देश है। इसके बाद चीन (10.95%) का स्थान आता है।
- ग्लोबल थ्रेट रैंकिंग आठ तरह की मैट्रिक्स पर आधारित है। यह इस प्रकार हैं मैलवेयर, स्पैम, फिशिंग, बॉट्स, नेटवर्क हमले, वेब हमले, रैनसमवेयर और क्रिप्टोमाइनर्स।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत स्पैम और बॉट्स द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने के मामले में दूसरे स्थान पर है जबकि नेटवर्क हमलों से प्रभावित होने के मामले में यह तीसरे और रैनसमवेयर से प्रभावित होने के मामले में चौथे स्थान पर है।

- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खतरे का परिदृश्य अधिक विविधतापूर्ण हो रहा है, हमलावरों ने हमले के नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए हैं और उन्हें छुपाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
- साइबर अपराधी अब 'क्रिप्टोजैकिंग' पर कार्य कर रहे हैं। क्रिप्टोजैकिंग पर कार्य कर रहे

7. पाकिस्तान में सिख महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र

पेशावर प्रेट्र: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अल्पसंख्यक सिख महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केद्रं खोले जाएंगे। सिख महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महिला आयोग के प्रयास के तहत ये केंद्र खुलेंगे।

- खैबर पख्तूनख्वा महिला आयोग की सदस्य रूबिना मसीह ने बताया कि रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों में सिख समुदाय की महिलाओं को शिक्षा और वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिख महिलाओं को कई शैक्षणिक व वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा आतंकवाद रोधी अभियान से प्रभावित है। इस कारण आदिवासी क्षेत्रों में सिख महिलाओं को घर छोड़ना पड़ा। मसीह ने कहा कि उन्हें अन्य समुदाय की महिलाओं के बराबर में लाने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर रोजगार केंद्र खोलने का फैसला लिया गया जहां घर के नजदीक उन्हें विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिख समुदाय ने पेशावर शहर के मोहल्ला जोगन शाह में प्रशिक्षण केंद्र खोलने का सुझाव दिया है। इसी तरह के केंद्र बुनेर व अन्य जिलों में खोले जाएंगे जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं।

पृष्ठभूमि

मार्च 2018 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में 'पंजाब सिख आनंद कराज विवाह एक्ट 2017' सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इससे प्रांत में सिख विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। इस एक्ट के लागू होने से पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश बन गया जहाँ सिख विवाह का पंजीकरण होता है। ■

राष्ट्रीय

1. गगन शक्ति युद्धाभ्यासः 2018

भारतीय वायुसेना ने 08 अप्रैल 2018 से पंद्रह दिन तक चलने वाले अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2018 की शुरुआत की। यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास हो रहा है। इस अभ्यास में वायु सेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े सहित समूची साजो-सामान को शामिल किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य सेना की युद्धक क्षमता का आकलन करना है। यह अभ्यास दिन के साथ-साथ रात में भी किया जा रहा हैं।

उद्देश्य

अभ्यास का उद्देश्य किसी को संदेश देना नहीं बल्कि क्षमताओं को परखना है और इसमें हथियारों की मारक क्षमता तथा इनके अचूक निशाने पर जोर दिया गया है। साथ ही रण कौशल की कमियों को दूर कर इन्हें निखारना भी इसका उद्देश्य है।

मुख्य तथ्य

- युद्ध अभ्यास के दौरान एयर सपोर्ट, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, अटैक, काउंटर अटैक, सेना के दूसरे अन्य अंगों के साथ संयुक्त ऑपरेशन आदि बातों पर जोर दिया गया है।
- देश में ही बना स्वदेशी तेजस पहली बार किसी युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। साथ ही सुखोई-30, मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज जैसे एयरफोर्स के 500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं।
- लड़ाकू विमानों के अलावा बड़े परिवहन विमान सी-17 ग्लोब मास्टर, सी-130 जे सुपर हर्क्युलिस भी अभ्यास में शामिल हुए।
- इस अभ्यास के दौरान वायुसेना में ही अपनी और दुश्मन की वायुसेना बनाई गयी है। अर्थात रेड फोर्स, ब्लू फोर्स और व्हाइट फोर्स ब्लू फोर्स भारत की, जबकि रेड फोर्स दुश्मन की वायुसेना मानी गयी है। व्हाइट फोर्स की भूमिका न्यूट्रल या रेफरी की है।
- अभ्यास में वायु सेना के 3000 अफसर और 15000 वायु सैनिक हिस्सा लिए है, जो लंबे समय से इसकी तैयारियों में जुटे हैं। भारत अपनी आसमानी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है।
- इस बड़े अभ्यास में सेना और नौसेना भी शामिल होगी। इस युद्धाभ्यास में भारत लड़ाकू और रक्षात्मक हर तरह की क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। वायुसेना अपने सभी जेट को अलग-अलग तरह के ग्राउंड पर उतारेगी।
- हर दो साल पर होने वाले गगन शक्ति के इस बार कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। युद्ध का यह अभ्यास चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों के साथ-साथ भारत की समुद्री सीमा के ऊपर भी हो रहा है।

- इसमें वायुसेना की सभी सामरिक कमानों ने हिस्सा लिया। स्वदेश में ही निर्मित लड़ाकू विमान तेजस इसमें पहली बार हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा वायुसेना में लड़ाकू पायलट के तौर पर भूमिका निभा रहीं तीनों महिला पायलट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। उसके पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है जबकि फिलहाल में सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। चीन-पाकिस्तान की चुनौतियों से मुकाबला करने और इन कमियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना अभ्यास के दौरान सर्च ऑपरेशन सिद्धांत पर अभ्यास कर रही है।

■

2. पश्चिमी घाट पर पौधे की नई प्रजाति खोजी गई

शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में 'फिमब्रिस्तिलिस अगस्थेमलेनेसिस' नामक प्रजाति के पौधे की खोज की है। इस पौधे को पश्चिमी घाट के अगस्त्यमाला बायोरिजर्व से खोजा गया है। इस शोध के बारे में फ्यतोताक्सा नामक बॉटैनिकल जर्नल के अप्रैल 2018 अंक में जानकारी प्रकाशित की गई। इन शोधकर्ताओं में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो एआर विजी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर टीएस प्रीथा ने पोंमुदी हिल्स के घास के मैदानों में इस प्रजाति के पौधे की खोज करने सफलता प्राप्त की। यह सर्वेक्षण, केरल राज्य के विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण काउंसिल (केएससीएसटीई) के महिला वैज्ञानिक प्रभाग द्वारा प्रायोजित था।

गंभीर लुप्तप्राय प्रजाति

शोधकर्ताओं ने पौधे की संरक्षण की सिफारिश की है क्योंकि यह पौधा गंभीर रूप से खतरे में है। इस क्षेत्र में यह पौधा जंगलों में पशुओं का आहार बन सकता है। इस पौधे का निवास स्थल केरल के टूरिज्म हब में गिना जाता है जिससे इस पौधे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसके लुप्तप्राय होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने पौधे की संरक्षण की सिफारिश की है क्योंकि यह पौधा गंभीर रूप से खतरे में है।

मुख्य बिंदु

फिमब्रिस्तिलिस अगस्थेमलेनेसिस प्रजाति का पौधा सायपरेस परिवार से सम्बंधित है। भारत में सायपरेस परिवार से सम्बंधित 122 पौधे पाए जाते हैं जिनमें 87 पश्चिमी घाट पर पाए गये हैं। इनमें से अधिकतर पौधे दवाओं में काम आते हैं अथवा चारे के रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं।

■

3. आरएच-300 ध्वनि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण

मौसम की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने 06 अप्रैल 2018 को एक महत्वपूर्ण रॉकेट लॉन्च किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित आरएच-300 ध्वनि रॉकेट को केरल के थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया।

रॉकेट इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन (टीइआरएलएस) से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। इससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी तथा वायुमंडल की निचली सतह पर होने वाली उथल पुथल का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। सेंटर ने इस तरह का अध्ययन पहले से शुरू कर रखा है। इसके तहत आरएच 300 एमके 2 रॉकेट के जरिये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।

उद्देश्य

- मध्य वायुमंडलीय मौसमी पवन दोलन और भारतीय गर्मियों में मानसून के साथ इसका संबंध जांचना। लंबी अवधि, मध्यम अवधि और लघु अवधि के भूमध्य रेखा तरंग मोड की विशेषताएं और प्रसार को मापना। लंबी अवधि के तरंगों के प्रभाव का औसत प्रवाह, गुरुत्वाकर्षण तरंग-ज्वार-ग्रहों गहरे उष्णकटिबंधीय संवहन के संबंध में और क्षोभमंडलीय कम दबाव प्रणाली के चरणों के दौरान मध्य वायुमंडलीय विभिन्नता का अध्ययन करना। यह आरएच 300 ध्वनि रॉकेट का 21वां प्रक्षेपण है। वर्ष 1960 में वातावरण संबंधी अध्ययन करने के लिए विदेशी रॉकेट की सहायता ली गई थी। पहली बार स्वदेशी रॉकेट का इस्तेमाल 2 मई 1965 में किया गया। वर्तमान में स्वदेशी रॉकेट एवं पेलोड लॉन्च किया जा रहा है।■

4. भारत सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य समझौता

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एवं विदर्भ क्षेत्रों में रहने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

विश्व बैंक महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के 70 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों को जलवायु के प्रति अनुकूल प्रशिक्षण के लिए शुरू की जाने वाली परियोजना हेतु 4.2 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। इस परियोजना से कृषि क्षेत्र में जलवायु की दृष्टि से लचीले माने जाने वाले तौर-तरीकों को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि अथवा खेती-बाड़ी आगे भी इन किसानों के लिए वित्तीय दृष्टि से एक लाभप्रद आर्थिक गतिविधि बनी रहे।

समझौते के मुख्य बिंदु

- लचीली कृषि के लिए परियोजना को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा जो मुख्यत: वर्षा जल से सिंचित कृषि पर निर्भर रहते हैं।
- इस परियोजना के तहत खेत एवं जल-संभर स्तर पर अनेक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, सतही जल भंडारण के विस्तार और जलभृत पुनर्भरण की सुविधा जैसी जलवायु-लचीली प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत अल्प परिपक्वता अवधि वाली और सूखा एवं गर्मी प्रतिरोधी जलवायु-लचीली बीज किस्मों को अपना कर जलवायु के कारण फसलों के प्रभावित होने के जोखिमों को कम करने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- जलवायु-लचीली कृषि जिंसों से जुड़ी उभरती मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस परियोजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि वे टिकाऊ, बाजार उन्मुख और कृषि-उद्यमों के रूप में परिचालन कर सकें।
- हाल के वर्षों में प्रतिकूल मौसम से महाराष्ट्र में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र में मुख्यत: छोटे और सीमांत किसानों द्वारा खेती की जाती है। महाराष्ट्र के किसानों की फसल उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है और वे काफी हद तक वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं। हाल के वर्षों में भंयकर सूखा पड़ने से इस राज्य में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अथवा पैदावार बुरी तरह प्रभावित हुई है। ■

5. भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना

क्रूड स्टील अथवा कच्चा इस्पात उत्पादन करने के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सूफी) ने विश्व स्टील संघ के आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए क्रूड स्टील उत्पादन में यह स्थान हासिल किया है। चीन कच्चे स्टील उत्पादन में पहले स्थान पर है। कुल वैश्विक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।

मुख्य तथ्य

भारत का क्रूड स्टील उत्पादन अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 के दौरान 4.4 प्रतिशत बढ़कर 9.31 करोड़ टन पर पहुंच गया। भारत 2015 में अमेरिका को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, भारत ने फरवरी 2018 में 8.4 लाख टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है, जो पिछले साल फरवरी के मुकाबले 3.4 फीसदी अधिक है। स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से देश में स्टील उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। फेडरेशन के मुताबिक 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियान से स्टील की घरेलू मांग में इजाफा हुआ है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से घरेलू बाजार को काफी प्रोत्साहन मिला है।

इस्पात निर्माण

लौह अयस्क से इस्पात बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण इस्पात निर्माण है। कच्चे लोहे से इस्पात

बनाने के लिये कच्चे लोहे में उपस्थित अतिरिक्त कार्बन तथा गंधक, फॉस्फोरस आदि अशुद्धियों को निकाला जाता है और मैगनीज, निकिल, क्रोमियम तथा वैनेडियम आदि तत्व मिलाये जाते हैं ताकि वांछित प्रकार का इस्पात बनाया जा सके।

भारत इस्पात नीति-2017 की मुख्य बातें

भारतीय इस्पात क्षेत्र देश के जीडीपी में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत ने 2016-17 में बिक्री के लिए 100 एमटी उत्पादन के स्तर को पार किया। नई इस्पात नीति 2017 के तहत 2030 तक 300 एमटी इस्पात बनाने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा। इस नीति के तहत इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए प्रमुख क्षेत्र हैं - बुनियादी ढांचा, वाहन एवं आवास। नई इस्पात नीति के तहत 2030 तक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को बढ़ाकर करीब 160 किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है जो फिलहाल करीब 60 किलोग्राम है।

इस्पात क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को मान्यता दी गई है। नीति में बताया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से कुल मिलाकर उत्पादकता बढ़ाने और ऊर्जा की खपत घटाने में मदद मिलेगी।

■

6. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना

भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन (आईसीए) द्वारा साझा जानकारी के अनुसार भारत ने हैंडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है। भारत सरकार, एफटीटीएफ और आईसीए के कठोर और समन्वित प्रयासों से भारत संख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। आईसीए ने बाजार अनुसंधान फर्म आईएचएस, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो और वियतनाम के सामान्य सांख्यिकी कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला दिया है।

उद्देश्य

उद्योग और सरकार के प्रतिनिधित्व वाली संस्था एफटीटीएफ ने मोबाइल फोन उत्पादन में हो रहे विकास की बदौलत आठ अरब डॉलर के कंपोनेंट उत्पादन का स्तर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उसने साथ ही वर्ष 2019 तक 15 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा होने का भी अनुमान जताया है। संस्था ने अगले साल के आखिर तक 12 करोड़ मोबाइल फोन यूनिट के निर्यात का भी लक्ष्य रखा है, जिसका मूल्य 15 लाख डॉलर का हो सकता है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य

आईसीए ने बाजार अनुसंधान फर्म आईएचएस, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो और वियतनाम के सामान्य सांख्यिकी कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला दिया है। आईसीएस द्वारा साझा आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल फोन का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2014 में 30 लाख इकाई से बढ़कर वर्ष 2017 में 1.1 करोड़ इकाई हो गया है। भारत, वियतमान को पछाड़कर वर्ष 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। देश में मोबाइल फोन उत्पादन बढ़ने के साथ इनका आयात भी वर्ष 2017-18 में घटकर आधे से कम रह गया है।

घरेलू बाजार में पूर्णत: निर्मित यूनिट का अनुपात 2014-15 के 78 फीसदी से घटकर 2017-18 में 18 फीसदी रह गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स (एफटीटीएफ) ने वर्ष 2019 तक मोबाइल फोन उत्पादन 50 करोड़ इकाई तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 46 अरब डॉलर होगा।

■

7. आरबीआई ने पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा 2018-19 जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 05 अप्रैल 2018 को वित्त वर्ष 2018-19 की अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की हालांकि आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की ही तरह 6.0 फीसदी पर बनाए रखा है। लगातार चौथी समीक्षा बैठक में आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

रेपो रेट

रेपो रेट वह दर होती है जिसपर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया कराते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले तमाम तरह के लोन का सस्ता होना होता है।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

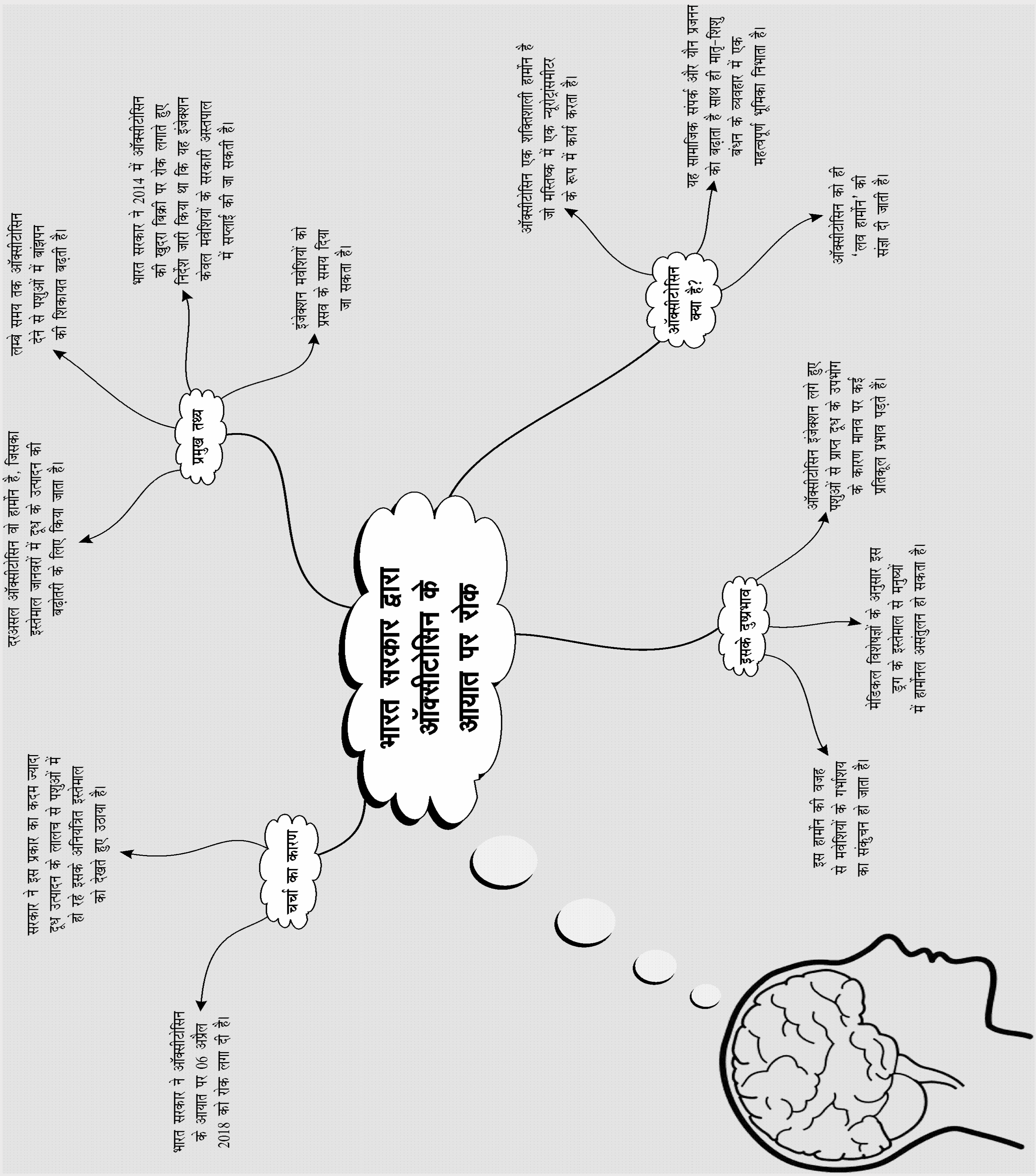
भारत सरकार द्वारा ऑक्सीटोसिन के आयात पर रोक
चर्चा का कारण
भारत सरकार ने ऑक्सीटोसिन के आयात पर 06 अप्रैल 2018 को रोक लगा दी है।
सरकार ने इस प्रकार का कदम ज्यादा दूध उत्पादन के लालच से पशुओं में हो रहे इसके अनियंत्रित इस्तेमाल को देखते हुए उठाया है।
प्रमुख तथ्य
दरअसल ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है, जिसका इस्तेमाल जानवरों में दूध के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है।
लम्बे समय तक ऑक्सीटोसिन देने से पशुओं में बांझपन की शिकायत बढ़ती है।
भारत सरकार ने 2014 में ऑक्सीटोसिन की खुदरा बिक्री पर रोक लगाते हुए निर्देश जारी किया था कि यह इंजेक्शन केवल मवेशियों के सरकारी अस्तपाल में सप्लाई की जा सकती है।
इंजेक्शन मवेशियों को प्रसव के समय दिया जा सकता है।
ऑक्सीटोसिन क्या है?
ऑक्सीटोसिन एक शक्तिशाली हार्मोन है जो मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है।
यह सामाजिक संपर्क और यौन प्रजनन को बढ़ाता है साथ ही मातृ-शिशु बंधन के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ऑक्सीटोसिन को ही 'लव हार्मोन' की संज्ञा दी जाती है।
इसके दुष्प्रभाव
इस हार्मोन की वजह से मवेशियों के गर्भाशय का संकुचन हो जाता है।
मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार इस ड्रग के इस्तेमाल से मनुष्यों में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।
ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगे हुए पशुओं से प्राप्त दूध के उपभोग के कारण मानव पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

NIRF रैंकिंग 2018

चर्चा का कारण

- इस वर्ष यह तीसरा संस्करण NIRF सर्वेक्षण है और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2018 के भाग के रूप में जारी किया गया।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान घोषित किया गया
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2018 या NIRF-3 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, एम्स-दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और एनएलएसआईयू-बेंगलुरू के रूप में देश में सर्वश्रेष्ठ कानून स्कूल घोषित किया गया

NIRF सर्वे

- NIRF सर्वेक्षण देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्वदेशी रैंकिंग ढांचा है।
- यह कार्यप्रणाली की रूपरेखा और देश भर में संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारतीय पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें अध्यापन, शिक्षण और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धतियों स्नातक परिणामों, आउटरीच और समग्रता और धारणा शामिल हैं।
- इसमें विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला, कानून, चिकित्सा संस्थानों और सामान्य डिग्री कॉलेजों सहित नौ श्रेणियों के संस्थान शामिल हैं।

NIRF सर्वेक्षण 2018

- इसमें 9280 श्रेणियों में 2809 संस्थानों ने हिस्सा लिया है।
- सामूहिक रूप से उन्होंने 3954 अलग-अलग प्रोफाइल प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ में कई विषय और श्रेणियां हैं।
- इसमें 301 विश्वविद्यालय, 906 इंजीनियरिंग संस्थान, 487 प्रबंधन संस्थान, 286 फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, 101 मेडिकल संस्थान, 71 लॉ इंस्टीट्यूशंस, 59 आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस और 1087 जनरल डिग्री कॉलेज शामिल हैं।
- 2018 रैंकिंग के लिए प्रयुक्त मापदंड सामान्यत: पिछले वर्षों में इस्तेमाल किए जाने वाले समान थे। हालांकि, अधिक मजबूती और सटीकता के लिए कुछ उप-पैरामीटर आगे बढ़ गए हैं।

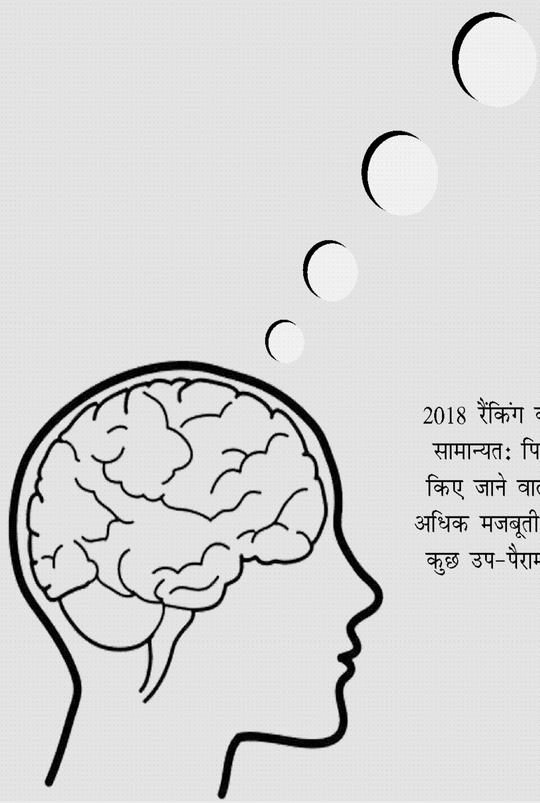

सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंजों में एल्गोरिथ्म व्यापार नियमों को आसान बनाया

चर्चा का कारण

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के नियमों को आसान कर दिया है।
- बाजार नियामक ने एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग प्रक्रिया का उपयोग करके ट्रेडिंग की सीमा बढ़ा दी है।
- अब उपयोगकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले 20 आर्डर प्रति सेकंड की सीमा को बढ़ाकर 100 ऑर्डर प्रति सेकंड कर दिया गया है।

प्रमुख तथ्य

- सेबी की उपसमिति-कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमिटी के विचारों के साथ ही एक्सचेंजों से अभ्यावेदन मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया।
- सेबी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंजों से कहा है कि उपलब्ध कराई गई यह सीमा लोड को संभालने में सक्षम हो।
- इसके अलावा, इसने एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग के सिस्टम ऑडिट के लिए एक्सचेंजों द्वारा सिस्टम ऑडिटर्स के मनोनयन की आवश्यकता को दूर करने का निर्णय लिया है।

एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग

- एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की एक प्रणाली है जो उन्नत गणितीय उपकरणों का उपयोग कर वित्तीय बाजारों में लेनदेन के निर्णय लेने की सुविधा देती है।
- इस प्रकार के सिस्टम में, मानव व्यापारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है और इस प्रकार निर्णय लेने का कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है।
- इससे मानव व्यापारी के समझने से बहुत पहले ही यह प्रणाली बाजार में होने वाले किसी भी लाभ के अवसर को जल्दी अपनी ओर खींच सकती है।
- यह वर्ष 2009 में भारत में पेश किया गया था।
- वर्तमान में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर एल्गोरिथ्म ट्रेडों की सभी ट्रेडों के बीच 16% की हिस्सेदारी है।

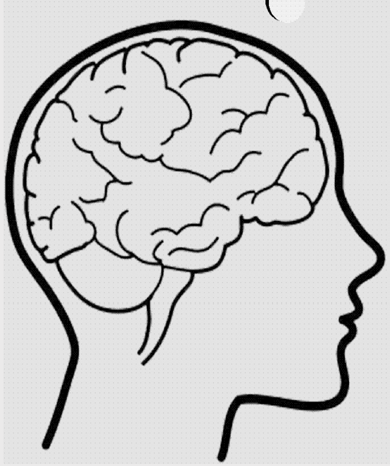

नासा ने 'इनसाइट मिशन' लॉन्च

चर्चा का कारण

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया। यह नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर किया जाने वाला पहला अध्ययन अभियान होगा।
- चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन के बाद इनसाइट भी नासा का पहला मिशन होगा। इसे पांच मई को मंग्रल ग्रह पर भेजने का कार्यक्रम है।
- यह किसी दूसरे ग्रह की जमीन पर भूकंप को मापने के लिए बनाए गए यंत्र को वहां स्थापित करेगा।

नासा इनसाइट मिशन की प्रमुख बातें

- इनसाइट एक तरह का रोबोट है जो 5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के बनने के शुरुआती चरणों के बारे में सूचनाएं जुटाएगा। इसे एक प्रकार की वैज्ञानिक टाइम मशीन भी कहा जा रहा है।
- इससे यह मालूम चलने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी, उसका चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य ग्रहों जैसी चट्टानें कैसे बनीं।
- नासा के मुताबिक मंगल ग्रह की आंतरिक सतहों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि इसकी सतहें पृथ्वी से किस तरह अलग हैं।
- इस वैज्ञानिक शोध में मंगल ग्रह के धरातल पर होने वाली हलचल, भूकंप आदि की भी गहराई से जांच की जाएगी।
- इनसाइट नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे नासा के मार्शल फ्लाइट सेंटर द्वारा मैनेज किया जा रहा है।
- इस स्पेसक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन स्पेस, डेनेवर द्वारा बनाया एवं टेस्ट किया गया है।

नासा के बारे में जानकारी

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है।
- नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 29 जुलाई 1958 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था, नैशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था।
- इस संस्था ने 01 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया।
- फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य "भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना" रखा गया।
- 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि, उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे।

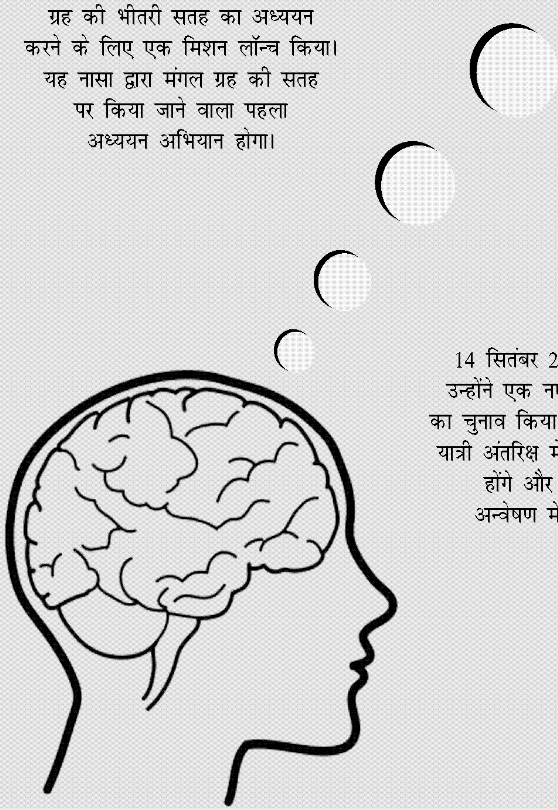

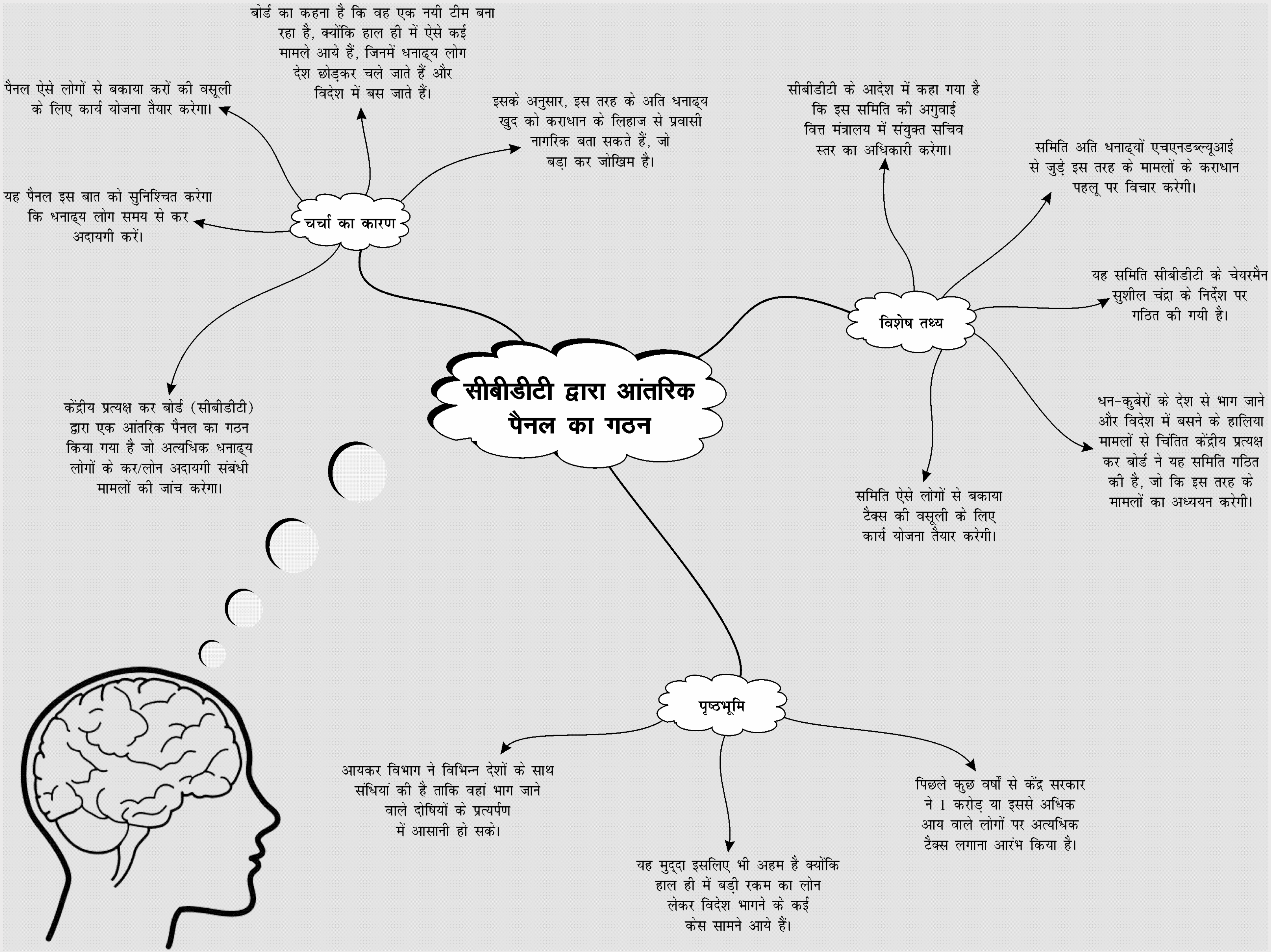
सीबीडीटी द्वारा आंतरिक पैनल का गठन
चर्चा का कारण
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा एक आंतरिक पैनल का गठन किया गया है जो अत्यधिक धनाढ्य लोगों के कर/लोन अदायगी संबंधी मामलों की जांच करेगा।
यह पैनल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि धनाढ्य लोग समय से कर अदायगी करें।
पैनल ऐसे लोगों से बकाया करों की वसूली के लिए कार्य योजना तैयार करेगा।
बोर्ड का कहना है कि वह एक नयी टीम बना रहा है, क्योंकि हाल ही में ऐसे कई मामले आये हैं, जिनमें धनाढ्य लोग देश छोड़कर चले जाते हैं और विदेश में बस जाते हैं।
इसके अनुसार, इस तरह के अति धनाढ्य खुद को कराधान के लिहाज से प्रवासी नागरिक बता सकते हैं, जो बड़ा कर जोखिम है।
विशेष तथ्य
सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि इस समिति की अगुवाई वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी करेगा।
समिति अति धनाढ्यों एचएनडब्ल्यूआई से जुड़े इस तरह के मामलों के कराधान पहलू पर विचार करेगी।
यह समिति सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा के निर्देश पर गठित की गयी है।
धन-कुबेरों के देश से भाग जाने और विदेश में बसने के हालिया मामलों से चिंतित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह समिति गठित की है, जो कि इस तरह के मामलों का अध्ययन करेगी।
समिति ऐसे लोगों से बकाया टैक्स की वसूली के लिए कार्य योजना तैयार करेगी।
पृष्ठभूमि
आयकर विभाग ने विभिन्न देशों के साथ संधियां की है ताकि वहां भाग जाने वाले दोषियों के प्रत्यर्पण में आसानी हो सके।
यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में बड़ी रकम का लोन लेकर विदेश भागने के कई केस सामने आये हैं।
पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने 1 करोड़ या इससे अधिक आय वाले लोगों पर अत्यधिक टैक्स लगाना आरंभ किया है।

ऑटिज्म पर प्रशिक्षण के लिए चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला

चर्चा का कारण

- इस कार्यशाला का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट ने किया।
- बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान और प्रबंधन के लिये ऑटिज्म टूल्स-इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क (आईएनसीएलईएन) और इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म (आईएसएए) पर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 06 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हुई।

प्रमुख तथ्य

- इस कार्यशाला का उद्देश्य देश भर के डॉक्टरों को ऑटिज्म टूल्स से अवगत कराना है ताकि वे ऑटिज्म टूल्स का इस्तेमाल करते हुए नैदानिक मानदंड की जानकारी देने के साथ-साथ संदिग्ध ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे का नैदानिक मूल्यांकन कर सकें।
- नेशनल ट्रस्ट, बाल तंत्रिका विज्ञान डिवीजन, बाल चिकित्सा विभाग, एम्स के सहयोग से इस तरह की तीन राष्ट्रीय कार्यशालाएँ सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है, जिनमें देश भर के 250 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को ऑटिज्म टूल्स में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- नेशनल ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, सामान्य विकास में कमी और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये संसद के कानून द्वारा स्थापित एक वैधानिक संगठन है।
- नेशनल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कार्य इस प्रकार की दिव्यांगता के बारे में कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोजित करके आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है।

ऑटिज्म (मस्तिष्क विकार) क्या है?

- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी, प्रतिबंधित, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टिरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाना जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है।
- यह मस्तिष्क विकार है जो लोगों के साथ संवाद स्थापित करने में व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित करता है।
- आमतौर पर एएसडी बीमारी की शुरूआत बचपन में होती है तथा यह बीमारी जीवनपर्यंत बनी रहती है।

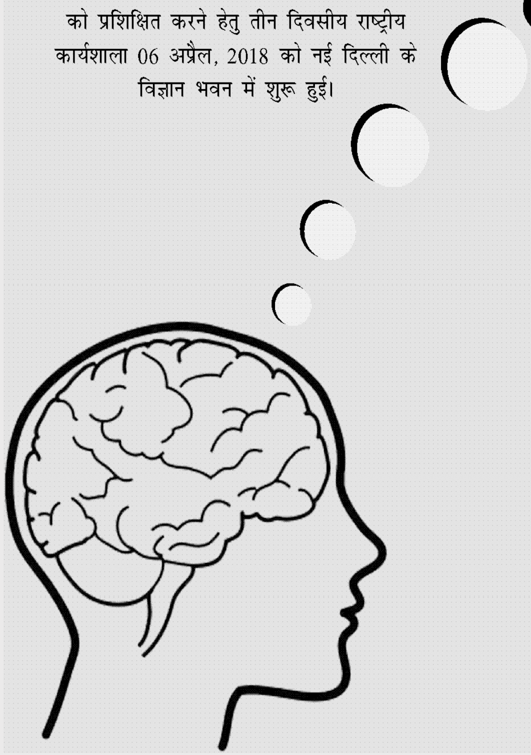

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कटौती को मंजूरी

चर्चा का कारण

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में कटौती को मंजूरी दे दी। सीसीआई में वर्तमान दो रिक्त स्थानों तथा एक अतिरिक्खत रिक्त स्थान को नहीं भरकर उसका आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य करने की मंजूरी है।
- हालांकि एक स्थान सितम्बर 2018 में रिक्त होने की उम्मीद है, जबकी वर्तमान एक पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

इससे होने वाले फायदे

- इस प्रस्ताव से आयोग के सदस्यों के तीन पदों में कटौती हो जाएगी, जो न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन के सरकार के उद्देश्य को पूरा करता है।
- सुनवाईयों में तेजी से तब्दीली के कारण शीघ्र स्वीकृति की उम्मीद है, जिससे कार्पोरेट की व्यवसाय प्रक्रिया तेज होगी और देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
- देश में विलय और एकीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के सरकार के उद्देश्य के अंतर्गत मंत्रालय ने वर्ष 2017 में अल्पतम स्तरों में संशोधन किया था, जो परिसम्पत्तियों की संगणना और ऐसे कार्यों से जुड़े एक लक्ष्य के कारोबार हेतु अपनाई जाने वाली युक्तियों और कार्य पद्धतियों पर लागू है।
- इससे आयोग में जमा करने के लिए उद्यमों के लिए अनिवार्य नोटिसों में कमी आएगी। इससे आयोग पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है।
- केन्द्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई।
- इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके।

पृष्ठभूमि

- आयोग के आकार में आनुपातिक कटौती नहीं की गई और इसमें एक अध्यक्ष और दो से कम लेकिन छह से अधिक सदस्य नहीं रखने की व्यवस्था की गई। प्रतिस्पर्धा प्राधिकार का आकार जापान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अनेक प्रमुख अधिकार क्षेत्रों की तरह है।
- प्रतिस्पर्धा (संशोधन) कानून, 2007 में कानून के अनुच्छेद 22 में बेंचों के गठन का प्रावधान समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था। इसी संशोधन कानून में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को मिलाकर प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया।
- प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 के अनुच्छेद 8(1) में व्यवस्था है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा दो से कम और छह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. भारत सरकार द्वारा ऑक्सीटोसिन के आयात पर रोक

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है?

(a) सरकार द्वारा अत्यधिक दूध उत्पादन के लालच के चलते पशुओं में उपयोग होने वाले 'ऑक्सीटोसिन' के आयात पर रोक लगा दी गई है।

(b) ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल जानवरों में दूध के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है इसको 'लव हार्मोन' भी कहा जाता है।

(c) ऑक्सीटोसिन एक शक्तिशाली हार्मोन है जो मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। और यह पशुओं में बांझपन के लिए उत्तरदायी है।

(d) ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगे हुए पशुओं से प्राप्त दूध के उपयोग से मानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत सरकार ने 2014 में ऑक्सीटोसिन की खुदारा बिक्री पर रोग लगाते हुए निर्देश जारी किया था यह इंजेक्शन केवल मवेशियों के सरकारी अस्पताल में सप्लाई किया जा सकता है। इसके उपयोग से पशुओं तथा पशुओं द्वारा उत्पादित दुग्ध के प्रयोग से मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ■

2. NIRF रैंकिंग 2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरू को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संसाधन रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया।
2. एनआईआरएफ सर्वेक्षण देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्वदेशी रैंकिंग ढांचा है।
3. एनआईआरएफ सर्वेक्षण 2018 में देश के 2809 संस्थानों ने हिस्सा लिया।
4. वर्ष 2018 रैंकिंग के लिए प्रयुक्त मापदंड सामान्यत: पिछले वर्षों में इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंडों से भिन्न थे।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 4 व 3 (b) केवल 2, 3 व 4

(c) केवल 1, 2 व 3 (d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में एनआईआरएफ ने देश के कुल 2809 शिक्षण और शोध संस्थानों को शामिल करते हुए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरू को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। इस सर्वेक्षण में प्रयुक्त मापदंड पिछले वर्षों में प्रयुक्त मापदंडों के समान ही थे। अत: कथन 4 गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

3. सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंजों में एल्गोरिथ्म व्यापार नियमों को आसान बनाया

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के नियमों को कठोर कर दिया है।
2. एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग की एक प्रणाली है जो उन्नत गणितीय उपकरणों का उपयोग कर वित्तीय बाजारों में लेनदेन के निर्णय लेने की सुविधा देती है।
3. वर्तमान में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर एल्गोरिथ्म ट्रेडों की सभी ट्रेडों के बीच 50% की हिस्सेदारी है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3

(b) केवल 2

(c) केवल 2 व 3

(d) 1, 2 व 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के नियमों को आसान कर दिया है न कि कठिन किया है। सेबी ने एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग प्रक्रिया का उपयोग करके ट्रेडिंग की सीमा बढ़ा दी है। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एल्गोरिथ्म ट्रेडों की सभी ट्रेडों के बीच 16% की हिस्सेदारी है न कि 50% अत: कथन 1 व 3 गलत हैं। ■

4. नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु इनसाइट मिशन लाँच किया

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. अमेरिकी अंतरिक्ष ऐजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करने के लिए 'इनसाइट मिशन' लाँच किया है।
2. यह नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह के अध्ययन हेतु दूसरा अभियान है।
3. इनसाइट एक तरह का रोबोट है जो 5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के बनने के शुरूआती चरणों के बारे में सूचनाएँ जुटाएगा।
4. इनसाइट नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3

(b) केवल 1, 3 व 4

(c) केवल 1, 2 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: मंगल ग्रह के सतह के अध्ययन हेतु नासा द्वारा मिशन इनसाइट को लॉन्च किया गया। यह अमेरिकी अंतरिक्ष ऐजेंसी नासा का मंगल ग्रह की सतह के अध्ययन हेतु पहला अभियान है न कि दूसरा और यह नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। ■

5. सीबीडीटी द्वारा आंतरिक पैनल का गठन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा एक आंतरिक पैनल का गठन किया गया है जो अत्यधिक धनाढ्य लोगों के कर/लोन अदायगी संबंधी मामलों की जाँच करेगा।
2. यह समिति सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा के निर्देश पर गठित की गई है।
3. यह समिति धन कुबेरों के देश से भाग जाने और विदेश में बसने के हालिया मामलों से चिंतित केंद्रीय सतर्कता बोर्ड ने यह समिति गठित की है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2

(b) केवल 2 व 3

(c) केवल 3 व 2

(d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा एक आंतरिक पैनल का गठन किया गया है जो अत्यधिक धनाढ्य लोगों के कर/लोन अदायगी संबंधी मामलों की जाँच करेगा। ■

6. ऑटिज्म पर प्रशिक्षण के लिए चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है?

(a) बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर के निदान और प्रबंधन के लिए ऑटिज्म टूल्स-इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमिपोलॉजी नेटवर्क और इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म पर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु नई दिल्ली में कार्यशाला आयोजित की गई।

(b) दुनिया भर में शहरी और ग्रामीण समुदाय के बीच ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर बढ़ रहा है।

(c) यह मस्तिष्क विकार है जो लोगों के साथ संवाद स्थापित करने में व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित करता है, एएसडी की शुरूआत बचपन में होती है।

(d) नेशनल ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत ऑटिज्म सेरीब्रल पाल्सी सामान्य विकास में कमी और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित एक सामाजिक संगठन है।

उत्तर: (d)

व्याख्या: नेशनल ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत ऑटिज्म सेरीब्रल पाल्सी सामान्य विकास में कमी और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित एक सामाजिक संगठन नहीं है बल्कि यह संसद के कानून द्वारा स्थापित एक वैधानिक संगठन है अत: उत्तर (d) होगा। ■

7. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कटौती को मंजूरी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आकार को एक अध्यक्ष और 6 सदस्य से घटाकर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य करने की मंजूरी दी है।
2. इस प्रस्ताव से आयोग के सदस्यों के लिए 2 पदों में कटौती हो जाएगी जो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सरकार के उद्देश्य को पूरा करता है।
3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक विनियामक संस्था है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में कटौती को मंजूरी दी यह कटौती आयोग के आकार को लेकर हुई है इसमें आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान है। अत: कथन 1 व 2 गलत है। सही उत्तर (c) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

-नेफ्यूरियो (एनडीपीपी के अध्यक्ष)

2. हाल ही में जापान नौसेना युद्धपोत इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

-रियोको अजूमा

3. हाल ही में राष्ट्रीय पोषण मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है?

-राजस्थान

4. हाल ही में भारत में नया 'फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया किस राज्य में खोला गया है?

-अरूणाचल प्रदेश

5. हाल ही में किस देश की नेता से मानवाधिकार सम्मान वापस लेने की घोषणा की गई है?

-आंग सान सू की (म्यांमार की नेता)

6. हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है?

-बेंगलुरू

7. हाल ही में स्कॉटलैंड यार्ड के आतंकवाद विरोधी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- नील बसु (भारतीय मूल के)

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. पूर्ण धारणा के साथ बोला गया "नहीं" सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए "हाँ" से बेहतर है।

- महात्मा गाँधी

2. शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउन्ट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई दूसरा लक्ष्य।

- अब्दुल कलाम

3. महान आत्माओं ने हमेशा मामूली सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना किया है।

- अल्बर्ट आइंस्टीन

4. कभी मत सोचिये कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है, तो वो यही है; ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं।

- स्वामी विवेकानंद

5. आम तौर पर लोग चीजें जैसी हैं उसके आदि हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की जरुरत है।

- भगत सिंह

6. माँ का प्यार सबसे ज्यादा गहरा होता है क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं होता और इसकी तुलना कभी भी हम नहीं कर सकते।

- सुभाष चन्द्र बोस

7. मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ, जो स्वतंत्रता समानता और भाईचारा सिखाता है।

- चंद्रशेखर आजाद

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर वर्षा अधिक क्यों होती है? साथ ही पश्चिमी घाट के कर्नाटक मार्ग पर महाराष्ट्र व केरल मार्ग की अपेक्षा अधिक वर्षा होने के कारणों की विवेचना भी करें।

2. देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का उल्लेख करते हुए इनके हित में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करें।

3. संवधिान भारत को न्यायिक सर्वोपरिता और संसदीय संप्रभुता के बीच संतुलन के रूप में प्रस्तुत करता है। टिप्पणी करें।

4. आने वाले दिनों में भारत के लिए नेपाल और भूटान के साथ संबंध कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? संभावनाओं का आकलन करें।

5. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा करें। कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित करने का फैसला क्यों किया? वर्णन करें।

6. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इस पर अपना विचार व्यक्त करें।

7. हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए उग्र आंदोलन की स्थिति देखी गई। क्या आपकों लगता है कि कुछ राज्यों के लिए संविधान में किये गये विशेष प्रावधान ऐसे आंदोलनों के लिए उत्तरदायी हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE *for* IAS

Dhyeya Student Portal

***FREE* REGISTRATION**

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
• उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	✓
• उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
• मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	×
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे • विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और **Ethics case study** • अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	×

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44